अध्याय एक

परिचय : संकल्पनायें, परिभाषायें और क्रियाविधियां

१.० परिचय

१.०.१ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (रा.प्र.स.का.), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और का.का. मंत्रा) भारत सरकार, १९५० में अपनी स्थापना के पश्चात् विविध समाजार्थिक पहलूओं पर आंकड़े एवं सांख्यिकीय सूचकों को एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिचयन विधियों का प्रयोग कर राष्ट्रव्यापी एकीकृत वृहद पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता आ रहा है ।

१.०.२ रा.प्र.स. का सड़सठवां दौर की आर्थिक एवं विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्र (निर्माण को छोड़कर) में असमाविष्ठ गैर-कृषि उद्यमों के संचालनात्मक विशेषताओं पर आंकड़ा एकत्रित करने के लिए विशिष्ट रूप से समर्पित है । सर्वेक्षण का क्षेत्र संचालन १ जुलाई २०१० से प्रारंभ होगा और ३० जून २०११ तक चलेगा ।

१.०.३ व्यापार, असंगठित विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों (व्यापार और निर्माण को छोड़कर) के उद्यमों पर पिछला सर्वेक्षण क्रमशः रा प्र स के ५३वें दौर (जनवरी-दिसम्बर १९९७), ६२वें दौर (जुलाई २००५-जून २००६) और ६३वें दौर (जुलाई २००६-जून २००७) में किया गया था । अन्य उद्यम सर्वेक्षण ५५वें दौर (अनौपचारिक क्षेत्र उद्यम, १९९९-२०००) और ५६वें दौर (असंगठित विनिर्माण २०००-२००१) और ५७वें दौर (असंगठित सेवा क्षेत्र (व्यापार, वित्त और निर्माण को छोड़कर), २००१-२००२) के मध्य किए गए थे ।

१.०.४ रा प्र स ६७वें दौर के लिए 'क्षेत्र कर्मचारियों के लिए अनुदेश' की वर्तमान पुस्तिका दो खंडों में हैं । खंड १ सर्वेक्षण करने के लिए परिचय, संकल्पनायें, परिभाषायें, प्रतिदर्श अभिकल्प और क्रियाविधियों के निर्देशन का है । खंड II सर्वेक्षण दौर के लिए अनुसूचियां उपलब्ध कराती है ।

१.१ खंड १ की अंतर्वस्तु

१.१.० वर्तमान खंड में तीन अध्याय हैं । अध्याय एक, सम्पूर्ण सर्वेक्षण संचालन पर सिंहावलोकन के अलावे, सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य तकनीकी शब्दों की संकल्पनाओं और परिभाषाओं की भी चर्चा करता है । यह इस दौर के लिए उद्यमों के लिए अपनाये गए चयन की प्रक्रिया और प्रतिदर्श अभिकल्प ब्यौरों के विवरण भी देता है । सूचीकृत अनुसूची (अनुसूची ०.०) और विस्तृत सर्वेक्षण छताछ अनुसूची (अनुसूची २.३४) को भरने के अनुदेश क्रमशः अध्याय दो और तीन में दिए गए हैं ।

१.२ सर्वेक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

१.२.१ विषय व्याप्ति : रा.प्र.स. ६७वां दौर (जुलाई २०१० - जून २०११) की व्याप्ति गैर-कृषि असंगठित उद्यमों के तीन क्षेत्रों अर्थात् विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं से संबंधित होगी ।

सर्वेक्षण में निम्नलिखित विस्तृत वर्गों को शामिल किया जायेगा :

(क) कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा 2m(i) और 2m(ii) के तहत पंजीकृत विनिर्माण उद्यमों को छोड़ सभी विनिर्माण उद्यमें

(ख) कारखाना अधिनियम, १९४८ के धारा ८५ के तहत पंजीकृत विनिर्माण उद्यमें

(ग) कपास की ओटाई, सफाई और गट्ठर बनाने में लगे हुए उद्यमें (रा.औ.व. - २००८, संकेतांक ०१६३२) कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत उद्यमों को छोड़कर

(घ) बीड़ी और सिगार बनाने वाले उद्यमें [जो बीड़ी और सिगार कर्मी (रोजगार की शर्त) अधिनियम, १९६६ के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें छोड़कर]

(च) व्यापार उद्यमें

(छ) अन्य सेवा क्षेत्र उद्यमें निर्माण को छोड़कर

(क) मालिकाना और साझेदारी उद्यमें
(ख) न्यास (ट्रस्ट), स्वयं-सेवी दल (एस.एच.जी.), गैर-लाभकारी संस्थायें, आदि

निम्नलिखित मालिकाना वर्ग के उद्यमों को व्याप्ति से बाहर रखा जायेगा :

(क) उद्यम जो समाविष्ट हैं अर्थात कम्पनी अधिनियम, १९५६ के तहत पंजीकृत
(ख) सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमें
(ग) सहकारी

रा.औ.व.-२००८ संकेतांक से संबंधित सर्वेक्षण की व्याप्ति नीचे दी गई हैं ।

क. सर्वेक्षण की व्याप्ति के अंतर्गत रा.औ.व. २००८ संकेतांक

प्रभाग/समूह	विवरण
	विनिर्माण
१०	खाद्य उत्पादों का विनिर्माण
११	पेय उत्पादों का विनिर्माण
१२	तम्बाकू-उत्पादों का विनिर्माण
१३	वस्त्रों का विनिर्माण
१४	परिधान का विनिर्माण
१५	चमड़ा और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण
१६	लकड़ी का एवं लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर के अतिरिक्त; पुआल एवं गूथने वाले पदाथों से वस्तुओं का विनिर्माण
१७	कागज और कागज-उत्पादों का विनिर्माण
१८	रिकार्ड (मिडिया) का मुद्रण एवं पुनउत्पादन
१९	कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण
२०	रसायनों एवं रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण
२१	औषधीय, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का विनिर्माण
२२	रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण
२३	अन्य गैर-धातु खनिज उत्पादों का विनिर्माण
२४	मूलभूत धातुओं का विनिर्माण
२५	मशीनरी एवं उपकरण के अतिरिक्त गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण
२६	कम्प्यूटर, इलैक्ट्रॉनिक और प्रकाशीय उत्पादों का विनिर्माण
२७	विद्युत उपकरणों का विनिर्माण
२८	मशीनरी और उपकरण एन.ई.सी. का विनिर्माण
२९	मोटर गाड़ियाँ, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण
३०	अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण
३१	फर्नीचर का विनिर्माण
३२	अन्य विनिर्माण
३३	मशीनों और उपकरणों का अधिष्ठापन और मरम्मत
०१६३२	कपास की ओटाई, सफाई और बेलिंग
	व्यापार
४५	मोटर वाहनों और मोटर साईकिलों का मरम्मत और थोक और खुदरा व्यापार
४६	थोक व्यापार, मोटर वाहन और मोटर साईकिल को छोड़कर
४७	खुदरा व्यापार, मोटर वाहन और मोटर साईकिल को छोड़कर
	अन्य सेवायें
३७	मलजल
३८	कूड़ा-कड़कट एकत्रण, अभिक्रिया और विन्यास कार्यकलाप, सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति
३९	प्रतिकारी कार्यकलाप और अन्य कूड़ा- व्यवस्था सेवायें

४९२	अन्य भूतल परिवहन (४९२१२, ४९२१३ को छोड़कर)
५०	जल परिवहन
५२	परिवहन के लिए माल-गोदाम और सहायक कार्यकलापें
५३	डाक और कूरियर कार्यकलाप
५५	आवास
५६	खाद्य और पेय सेवा कार्यकलाप
५८	प्रकाशन कार्यकलाप
५९	चलचित्र, विडियो और टेलिविजन कार्यक्रम प्रदर्शन, ध्वनि रिकार्डिंग और संगीत प्रकाशन कार्यकलाप
६०	प्रोग्रामिंग और प्रसारण कार्यकलाप
६१	दूरसंचार
६२	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, कन्सेलटेन्सी और संबंधित कार्यकलाप
६३	सूचना सेवा कार्यकलाप
६४३	न्यास (ट्रस्ट), निधि (फंड) और अन्य वित्तीय उपाय (विशिष्ट संकेतांक ६४३०९ सहित)
६४९	बीमा और पेंशन निधि कार्यकलाप को छोड़कर (विशिष्ट संकेतांक ६४९२९ सहित) अन्य वित्तीय सेवा कार्यकलाप
६५	बाध्यकर सामाजिक प्रतिभूति को छोड़कर बीमा, पुनर्बीमा और पेंशन निधि
६६१	अन्य वित्तीय कार्यकलाप (६६११ को छोड़कर)
६६२	बीमा और पेंशन फंडिंग गौण कार्यकलाप (६६२९ को छोड़कर)
६६३	निधि प्रबंधन कार्यकलाप
६८	स्थावर सम्पत्ति कार्यकलाप
६९	कानूनी और लेखामूलक कार्यकलाप
७०	मुख्यालय के कार्यकलाप : प्रबंधन कन्सेलटेन्सी कार्यकलाप,
७१	वास्तुकला और इंजीनियरिंग कार्यकलाप, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण
७२	वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास
७३	विज्ञापन और बाजार अनुसंधान
७४	अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकलाप
७५	पशुचिकित्सा कार्यकलाप
७७१	मोटर वाहनों को भाड़े और पट्टे पर देना
७७२	व्यक्तिगत और पारिवारिक वस्तुओं को भाड़े और पट्टे पर देना
७७३	अन्य मशीनों, उपकरणों और ठोस वस्तुओं एन.इ.सी को भाड़े और पट्टे पर देना
७८	रोजगार कार्यकलाप
७९	पर्यटन ऐजन्सी, भ्रमण संचालक और अन्य आरक्षण सेवा कार्यकलाप
८०	सुरक्षा और छानबीन कार्यकलाप
८१	भवन और भू-दृश्य कार्यकलाप की सेवायें
८२	कार्यालय प्रशासन, कार्यालय सहायता और अन्य व्यापार सहायता कार्यकलाप
८५	शिक्षा
८६	मानव स्वास्थ्य कार्यकलाप
८७	आवासीय देखरेख कार्यकलाप
८८	सामाजिक कार्यकलाप आवास के बिना
९०	रचनात्मक, कला और मनोरंजन कार्यकलाप
९१	पुस्तकालय, अभिलेखागार, संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक कार्यकलाप
९२	जूआ और सट्टा कार्यकलाप (इसकी व्याप्ति केवल कानूनी कार्यकलाप तक ही सीमित रहेगी)
९३	खेलकूद कार्यकलाप और मनोविनोद और मनोरंजन कार्यकलाप
९४१	व्यापार, नियोक्ता और व्यावसायिक सदस्यता संगठनों के कार्यकलाप
९४९	अन्य सदस्यता वाले संगठनों के कार्यकलाप (संगठनों से संबंधित ९४९२ और ९४९१ के कुछ भाग को छोड़कर)

९५ कम्प्यूटर और व्यक्तिगत एवं पारिवारिक वस्तुओं की मरम्मत
९६ अन्य व्यक्तिगत सेवा कार्यकलाप

ख. सर्वेक्षण की व्याप्ति के बाहर रा.औ.व. २००८ संकेतांक

१. अनुच्छेदों के तहत सभी संकेतांक :

ए (कृषि, वनप्रान्त और मत्स्य-ग्रहण १६३२ को छोड़कर)

बी (खनन और उत्खनन)

डी (विद्युत, गैस, भाप और वातानुकूलन सप्लाई)

एफ (निर्माण)

( )

टी (नियोक्ता के रूप में परिवारों के कार्यकलाप, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए परिवारों के अभिन्न वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित कार्यकलाप)

यू (राज्यक्षेत्रातीत संगठनों और निकायों के कार्यकलाप)

२. संकेतांक ३६, ४९१, ४९२१२, ४९२१३, ४९३, ५१, ६४१, ६४२, ६६११, ७७४, ९४२, ९४९१ (केवल संगठनें), ९४९२

१.२.२ भौगोलिक व्याप्ति : यह सर्वेक्षण निम्नलिखित को *छोड़कर* सम्पूर्ण भारतीय संघ में किया जायेगा :

(i) नागालैंड के सुदूरवर्ती ग्राम, जो बस मार्ग से ५ कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित हैं, और
(ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वे ग्राम जो वर्ष भर अगम्य रहते हैं ।

जम्मू एवं कश्मीर के लेह (लद्दाख) और कारगिल जिलों के लिए केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए अलग से कोई प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाई (प्र.च.इ.) नहीं होगी । इन दोनों जिलों के लिए, 'राज्य प्रतिदर्श' के लिए बनायी गई प्रतिदर्श प्रचइयों को ही केन्द्रीय प्रतिदर्श माना जाएगा । राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा भरी हुई अनुसूचियों की एक प्रति रा.प्र.स.का. के समंक विधायन प्रभाग को विधायन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी ।

१.२.३ सर्वेक्षण की अवधि एवं कार्य योजना : सर्वेक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी, जो १ जुलाई २०१० से आरम्भ होकर ३० जून, २०११ को समाप्त होगी । इस दौर की सर्वेक्षण अवधि को चार उप-दौरों में बांटा जाएगा । प्रत्येक उप-दौर तीन-तीन महीने की अवधि का होगा :-

उप-दौर १	:	जुलाई-सितम्बर २०१०
उप-दौर २	:	अक्तूबर-दिसम्बर २०१०
उप-दौर ३	:	जनवरी-मार्च २०११
उप-दौर ४	:	अप्रैल-जून २०११

चारों उप-दौरों में से प्रत्येक को सर्वेक्षण हेतु प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाई (प्र.च.इ.) अर्थात् ग्राम/खंडों की समान संख्या आबंटित की जाएगी ताकि सम्पूर्ण सर्वेक्षण अवधि में प्रतिदर्श प्रथम चरण इकाइयों (प्र.च.इ.यों) की एक समान संख्या का आबंटन सुनिश्चित किया जा सके । इसका प्रयास किया जाए कि प्रत्येक प्र.च.इ. का सर्वेक्षण उसी उप-दौर में किया जाए, जिसके लिए वह आबंटित है । इस प्रतिबंध को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां की विषम क्षेत्रीय स्थितियों को देखते हुए, सख्ती से लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

१.२.४ पूछताछ की अनुसूचियां : इस दौर में, निम्नलिखित अनुसूचियों पर पूछताछ की जायेगी :

अनुसूची ०.०	:	परिवारों और गैर-कृषि उद्यमों की सूची
अनुसूची २.३४	:	असंगठित गैर-कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर)

१.२.५ राज्यों का भाग लेना : इस दौर में सभी राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र भाग ले रहे हैं सिवाय अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादर एवं नागर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप के । निम्नलिखित तालिका भाग लेने वाले राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों के सुमेलन प्रतिरूप को दर्शाती है :

नागालैंड (नगरीय)	:	तीन गुणा
जम्मू व कश्मीर, मणिपुर एवं दिल्ली	:	दो गुणा
महाराष्ट्र (नगरीय)	:	डेढ़ गुणा
गुजरात	:	समान से कम
अन्य राज्य/सं.रा. क्षेत्र	:	समान

१.३ प्रतिदर्श अभिकल्प

१.३.१ प्रतिदर्श अभिकल्प की रूपरेखा : ६७वें दौर के सर्वेक्षण के लिए एक स्तरीकृत बहुचरणीय अभिकल्प अपनाया गया है । प्रथम चरण इकाइयां (प्र.च.इ.) ग्रामीण क्षेत्र के लिए २००१ जनगणना ग्राम (केरल के मामले में पंचायत वार्ड) और नगरीय क्षेत्र में नगरीय ढांचा सवेक्षण (न.ढा.स.) खण्ड होंगे । दोनों क्षेत्रों में अंतिम चरण इकाइयां (USU) उद्यम होंगे । बड़ी प्र.च.इ.यों के मामलों में, प्रत्येक बड़े ग्रामीण/नगरीय प्र.च.इ. में से तीन खे.स./उ.खंडों का चयन एक मध्यवर्ती चरण होगा ।

१.३.२ प्रथम चरण इकाइयों के चयन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रतिचयन ढांचा

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनगणना २००१ परिवारों की सूची को प्रतिदर्श ढांचे के लिए प्रयोग किया जाए । स्तरीकरण, उपस्तरीकरण और उद्यमों के चयन के लिए आर्थिक गणना-२००५ ढांचे में उपलब्ध गौण कार्यकलाप जैसे उद्यम की संख्या, कामगारों की संख्या, उद्यम के प्रकार, उद्यम के कार्यकलाप आदि का प्रयोग किया जाएगा ।

केरल में, गणना २००१ के अनुसार पंचायत वर्षों की सूची को ढांचे के रूप में प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ऐसे वार्डों की सूची आर्थिक गणना २००५ ढांचे में उपलब्ध नहीं हैं ।

नगरीय क्षेत्र में, जनगणना २००१ के अनुसार १० लाख से अधिक जनसंख्या वाले २६शहरों के लिए आ.ग-२००५ ढांचे का प्रयोग किया जायेगा । यद्यपि मुम्बई १० लाख से अधिक वाला शहर है, परंतु इस शहर के आ.ग में IV इकाइ/खंडों की पहचान की समस्या के कारण आर्थिक गणना-२००५ ढांचा का प्रयोग मुम्बई के लिए नहीं किया जायेगा । अन्य शहरों नगरों (मुम्बई सहित) के लिए न.ढा.स. ढांचा २००२-०७ चरण या यदि वह उपलब्ध न हो तो २००२-२००७ से पूर्व अंततम उपलब्ध चरण का प्रयोग किया जाएगा ।

१.३.३ स्तरीकरण : ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र दोनों में मूल स्तर प्रत्येक जिला होगा । तथापि, नगरीय के मामले में २००१ जनगणना के अनुसार १० लाख या अधिक जनसंख्या वाला प्रत्येक शहर एक मूल स्तर बनायेगा और जिले के अन्य शहर/नगर एक साथ मिलकर एक दूसरा स्तर बनाएंगे ।

१.३.४ उप-स्तरीकरण

(i) ग्रामीण : ग्रामीण क्षेत्र के लिए तीन उप-स्तर होगें

१. आ.ग-२००५ सूचना के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र की व्याप्ति के अंतर्गत कम से कम ५ प्रतिष्ठान (गै.नि.प्र./नि.प्र.) (गै.नि.प्र./नि.प्र. की परिभाषा के लिए पैरा १.४.१७ और १.४.१८ देखें) वाले ग्राम ;

२. आ.ग.-२००५ सूचना के के अनुसार व्यापार सहित सेवा क्षेत्रों की व्याप्ति के अंतर्गत कम से कम ५ गै.नि.प्र./नि.प्र. वाले शेष ग्राम ;

३. स्तर के शेष ग्राम

आ.ग.२००५ ढांचे में प्रतिबन्ध के कारण स्तरीकरण/उप-स्तरीकरण के लिए जहाँ आ.ग.-२००५ सूचना का प्रयोग गौण-सूचना के लिए नहीं किया जा सकता, ऐसे राज्यों के लिए प्रत्येक जिले को 'r/4' उपस्तरों में

प्रति उप स्तर ४ प्रतिदर्श आबंटन के साथ उप-स्तरीकृत किया जाएगा । जहाँ r जिला/स्तर के लिए प्रतिदर्श आबंटन है । उप-स्तरों का गठन ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर सजाकर किया जायेगा ताकि प्रत्येक उप-स्तरों की कुल जनसंख्या लगभग समान हो ।

(ii) नगरीय, १० लाख से अधिक आबादी वाले शहर (मुम्बई को छोड़कर)
प्रत्येक स्तर/१० लाख से अधिक आबादी वाले शहर के लिए, २० उप-स्तर निम्न रूप में गठित किए जायेंगे ।

उपस्तर १	बीमा एवं पेंशन फंडिंग (निधिकरण) में एक से अधिक प्रतिष्ठान वाले खंड
उपस्तर २	संग्रहण एवं भण्डारण में एक से अधिक प्रतिष्ठान वाले शेष खंड
उपस्तर ३	आवास में एक से अधिक प्रतिष्ठान वाले शेष खंड
उपस्तर ४-८	विनिर्माण के व्यापक कार्यकलाप (अनुवर्ती पैरा १.३.१० के अंतर्गत द्वि.च.स्त. गठन पर चर्चा अनुसार) में एक या अधिक प्रतिष्ठान वाले शेष खण्ड
पस्तर ९-१२	व्यापार के व्यापक कार्यकलाप (पैरा १.३.१० में द्वि.च.स्त. गठन के अनुसार) में एक से अधिक प्रतिष्ठान वाले शेष खंड
उपस्तर १३-१९	उप-स्तर १-३ के अंतर्गत शामिल किए गये कार्यकलाप को छोड़कर अन्य सेवाओं के व्यापक कार्यकलाप (पैरा १.३.१० में द्वि.च.स्त. गठन के अनुसार) में एक से अधिक वाले प्रतिष्ठान वाले शेष खंड
उपस्तर २०	स्तर के शेष सभी खंड

(iii) नगरीय, अन्य शहर और नगर (मुम्बई सहित) : दो उपस्तर गठित किए जायेंगे

उपस्तर १	न.ढां.स. खंड प्रकार : बाजार क्षेत्र (बा.क्षे.)/औद्योगिक क्षेत्र (औ.क्षे.)/अस्पताल क्षेत्र (अ.क्षे.)/झुगी-बस्ती क्षेत्र (झु.क्षे.) जहाँ पर उद्यमों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होगी
उपस्तर २	स्तर के शेष न.ढा.स. खंड

ग्रामीण या नगरीय उप-स्तर के ढांचे में यदि प्र.च.इ. की संख्या ८ से कम पायी गई तो अलग उप-स्तर गठित नहीं किया जायेगा और उसे निकटवर्ती उप-स्तर में मिला दिया जाएगा ।

जम्मू व कश्मीर के लेह जिले में केवल एक नगर (लेह) है और कारगिल जिले में भी एक नगर (कारगिल) है । यह दोनों नगर न.ढा.स. की व्याप्ति से बाहर हैं । इनको उप-स्तर २ में माना जायेगा और सम्पूर्ण नगर को एक प्र.च.इ. माना जायेगा ।

१.३.५ अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए एक प्रतिदर्श के १६००० प्र.च.इ.यों और राज्य प्रतिदर्श के लिए १७१७६ प्र.च.इ.यों का आबंटन किया गया है । केन्द्र और राज्य प्रतिदर्श के लिए राज्य/सं.रा.क्षे. और क्षेत्रों के लिए आबंटन अध्याय एक के अंत में सारणी १ में दिये गये हैं ।

१.३.६ कुल प्रतिदर्श (प्र.च.इ.यां) का आबंटन :

(i) अखिल भारतीय पर राज्यों का आबंटन :

अखिल भारतीय प्रतिदर्श आकार (प्र.च.इ.यो) का आबंटन भिन्न राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों में राज्य/सं.रा.क्षे. में आ.ग.-२००५ के अनुसार गैर-कृषि कामगारों के अनुपात और एक राज्य/सं.रा.क्षे. के लिए आवश्यक न्यूनतम आबंटनों को ध्यान में रखकर किया गया है ।

(ii) ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों पर राज्य/सं.रा.क्षे. आबंटन : राज्य/सं.रा.क्षे. प्रतिदर्श आकार आ.ग.-२००५ के अनुसार गैर-कृषि कामगारों की संख्या के अनुपात में राज्य/सं.रा.क्षे. के ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में आबंटित किया जायेगा इसे ध्यान में रखते हुए कि नगरीय आबंटन, ग्रामीण आबंटन की तुलना काफी अधिक न हो और ग्रामीण एवं नगरीय आबंटन दोनों ८ के गुणक हों ।

(iii) स्तर पर राज्य X क्षेत्र आबंटन : प्रत्येक क्षेत्र के लिए राज्य/सं.रा.क्षे. आकार के स्तर आबंटन आ.ग.-२००५ के अनुसार गैर-कृषि कामगारों की संख्या के अनुपात में की जाएगी । उन राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों के लिए जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए गणना २००१ ढांचा का प्रयोग किया जायेगा स्तरों का आबंटन गणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में किया जायेगा ।

(iv) उप-स्तर पर स्तरों का आबंटन : उप-स्तरों पर आबंटन निम्न रूप से किया जायेगा

(क) ग्रामीण क्षेत्र एवं १० लाख से अधिक आबादी वाले नगरों (गैर-कृषि कामगारों की संख्या ० वाले उन ग्राम/खंड के लिए संख्या १ मानने के पश्चात) में आ.ग.-२००५ के अनुसार गैर-कृषि कामगारों की संख्या के अनुपात में होगा ।

(ख) अन्य १० लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए उप-स्तर १ से दुगुना भार वाले खंडों की संख्या के अनुपात में होगा ।

एक उप-स्तर के लिए न्यूनतम आबंटन ४ होगा ।

१.३.७ प्र.च.इ.यों का चयन :

(क) ग्रामीण एवं १० लाख से अधिक वाले नगर : प्रत्येक स्तर/उप-स्तर से, प्रतिदर्श ग्रामों/खंडों की आवश्यक संख्या का चयन प्रतिस्थापन सहित आनुपातिक प्रायिकता (PPSWR) द्वारा किया जायेगा, जहां आकार आ.ग.-२००५ के अनुसार ग्राम/खंड में व्याप्ति के अंतर्गत गैर-कृषि कामगारों की कुल संख्या है ।

आ.ग.-२००५ ढांचे की प्रतिबंधता के कारण प्र.च.इ. का चयन जिन राज्यों के लिए जहाँ आ.ग.२००५ सूचना की गौण सूचना के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वहाँ आकार के लिए प्रतिस्थापन सहित अनुपातिक प्रायिकता (PPSWR) चयन गणना २००१ के अनुसार ग्राम की जनसंख्या पर किया जायेगा ।

(ख) नगरीय (१० लाख से अधिक आबादी वाले नगर को छोड़कर) : प्रत्येक उप-स्तर प्र.च.इ.यों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा किया जायेगा । यद्यपि, लेह और कारगिल के लिए, प्रत्येक नगर को ४ बार, प्रत्येक उप-दौर में एक बार चयनित किया जायेगा ।

ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रतिदर्शों को दो स्वतंत्र उप प्रतिदर्शों में तैयार किया जाएगा और चारों उप-दौरों में समान प्रतिदर्शों की संख्या आबंटित की जायेगी ।

१.३.८ खेड़ा-समूहों/उप-खंडों/परिवारों/उद्यमों का चयन - महत्वपूर्ण कदम

१.३.८.१ प्रचइ की सीमाओं की सही पहचान : क्षेत्र अन्वेषकों का पहला महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिदर्श सूची में दिये गये विवरणों के अनुसार प्रतिदर्श प्र.च.इ. की सही सीमाओं को सुनिश्चित करना । नगरीय प्रतिदर्शों के लिए, प्रत्येक नगरीय ढांचा सर्वेक्षण (न ढां स) खंड की सीमाओं की पहचान प्रतिदर्श सूची में विनिर्दिष्ट ढांचा संकेत के अनुरुपी मानचित्र के आधार पर की जायेगी (न ढां स की बाद की एक अवधि के लिए खंड का मानचित्र उपलब्ध होने पर भी ऐसा किया जायेगा) ।

१.३.८.२ अंश ९ का गठन : प्रतिदर्श प्रचइ की सरहदों को निश्चित करने के बाद पूरी प्रचइ में सभी गैर-कृषि उद्यम, जिनमें २० या अधिक कामगार हैं और जिन्होंने सर्वेक्षण तिथि से पिछले ३६५ दिनों के दौरान कम से कम एक दिन प्रचालन किया है (यहां आगे जिन्हें 'बड़े उद्यम' कहा जायेगा) सूचीकृत किए जाएंगे एवं व्याप्ति के अधीन सभी योग्य इकाइयाँ सर्वेक्षित की जायेंगी । सभी बड़े सूचीकृत बड़ी इकाइयां (चाहे व्याप्ति के अन्तर्गत हों या नहीं) अंश ९ गठित करेंगी । व्याप्ति के अधीन सभी योग्य उद्यमों का अंश ९ में सर्वेक्षण किया जायेगा ।

१.३.८.३ खेड़ा-समूह/उप-खंड गठन के लिए मापदंड : प्रचइ की पहचान के बाद, इसका निर्धारण किया जाना है कि क्या सूचीकरण पूरी प्रतिदर्श प्रचइ में की जानी है या नहीं । इसके लिए, सर्वप्रथम जानकार व्यक्तियों से पूरी प्रचइ की लगभग वर्तमान जनसंख्या (P) और गैर-कृषि उद्यमों की लगभग कुल संख्या (E) ज्ञात कर ली जाये । (P) और (E) के मूल्यों को ध्यान में रखकर, इसे ग्रामीण क्षेत्र में 'खेड़ा समूहों' और नगरीय क्षेत्र में 'उप खंडों' की एक उपयुक्त संख्या (जैसे, D) में बांट दिया जायेगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है 'D' का अंतिम मान दोनों मापदण्डों के आधार पर 'P' और 'E' का उच्चतर मान होगा ।

जनसंख्या/उद्यम दोहरा मापदण्ड			
जनसंख्या (P)	**गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूह/ उप-खंडों की संख्या**	**गैर-कृषि उद्यमों की संख्या (E)**	**गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूह/ उप-खंडों की संख्या**
१२०० से कम	१	१२० से कम	१
१२०० से १५९९	४	१२० से १५९	४
१६०० से १९९९	५	१६० से १९९	५
२००० से २३९९	६	२०० से २३९	६
और इसी प्रकार आगे	....	और इसी प्रकार आगे	....

तथापि, उद्यम मापदंड पर विचार करते समय, अंश ९ उद्यम, यदि कोई हो, को 'E' की गिनती से बाहर रखा जाये यदि संभव हो ।

हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड (देहरादून के ४ जिलों को छोड़कर (पी), नैनिताल(पी),हरद्वार और उधमसिंह नगर) और जम्मू-कश्मीर के पूंछ, राजौरी, उधमपुर, डोडा, लेह (लदहक) और कारगिल जिलों और केरल के इडुक्की जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठन किये जाने वाले खेड़ा-समूहों की संख्या इस प्रकार होगी :

जनसंख्या/उद्यम दौहरा मापदण्ड			
जनसंख्या(पी)	**गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूहों/उप खण्डों की संख्या**	**गैर कृषि उद्यमों की संख्या (ई)**	**गठित किये जाने वाले खेड़ा-समूहों/उप खण्डों की संख्या**
६०० से कम (कोई खे.स. नहीं)	१	१२० से कम	१
६०० से ७९९	४	१२० से १५९	४
८०० से ९९९	५	१६० से १९९	५
१००० से ११९९	६	२०० से २३९	६
और इसी प्रकार आगे	....	और इसी प्रकार आगे	....

१.३.८.४ खेड़ा-समूहों/उप-खंड़ों का चयन और गठन :
यदि प्रतिदर्श प्र.च.इ. में खेड़ा-समूहों/उप-खेड़ों का गठन किया जाना है, तो उसे या तो न्यूनाधिक बराबर जनसंख्या द्वारा या गैर-कृषि उद्यमों की संख्या समान करके किया जाना चाहिए (विवरण अध्याय दो में दिये गये हैं) । यदि "D" की मूल्यनिर्धारण की कसौटी जनसंख्या है, तो खे.स./उ.खं. १ का गठन बराबर जनसंख्या द्वारा होगा । दूसरी ओर, यदि "D" का निर्धारण उद्यमों के आधार पर किया है तो खे.स./उ.ख में "D" की संख्या गठित करने के लिए गैर-कृषि उद्यमों की संख्या को बराबर करिये । यदि "D" का मूल्य जनसंख्या और उद्यम दोनों आधार के लिए समान है तो खे.स./उ.खं. का गठन बराबर जनसंख्या द्वारा किया जायेगा ।

१.३.८.५ अंश १ और २ : एक बड़ी प्र.च.इ. से दो अंशों (अंश ९ जिसका पहले ही गठन हो चुका है के अलावे) का चयन किया जायेगा, जहाँ पर भी खेड़ा-समूहों/उप-खंडों का गठन निम्न रूप से हुआ है - अंश १ व्याप्ति के अंतर्गत प्रतिष्ठानों की अधिकतम संख्या वाले खे.स./उ.खं. होगा । दो अतिरिक्त खे.स./उ.ख. को प्रतिस्थापन बगैर यादृच्छिक प्रतिचयन (SRSWOR) द्वारा चुना जायेगा और उसे मिलाकर अंश २ गठित किया जायेगा ।

दोनों चयनित अंशों में उद्यमों का चयन और सूचीकरण अलग से किया जायेगा । खे.स./उ.खं. गठन के बगैर प्र.च.इ.यों को प्रतिदर्श अंश संख्या १ माना जायेगा ।

१.३.९ परिवारों/उद्यमों का सूचीकरण और उनके ढांचे का गठन : सूचीकरण के लिए विचारयोग्य क्षेत्र/क्षेत्रों के निर्धारण के पश्चात् अगला कदम सभी परिवारों और गैर-कृषि उद्यमों (गै.कृ.उ.) का सूचीकरण करना है [स्थानीय

पूछताछ द्वारा निश्चित करने के पश्चात् अस्थायी रूप से तालाबंद गै.कृ.उ. भी इसमें शामिल होंगे ।] । यद्यपि सभी गैर-कृषि उद्यमें सूचीबद्ध की जानी हैं, फिर भी केवल असमाविष्ट विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र उद्यम जैसा कि पैरा १.२.१ में दिया गया है, शामिल किये जायेंगे । फिर वे सेवा क्षेत्र उद्यम जिन्होंने संदर्भ वर्ष (अर्थात् सर्वेक्षण तिथि से पिछले ३६५ दिनों) के दौरान कम से कम ३० दिनों (मौसमी उद्यमों के लिए १५ दिन) प्रचालन किया वे ही सर्वेक्षण के योग्य होंगे । ऐसे उद्यमों को यहां आगे **'योग्य उद्यम'** कहा जायेगा ।

उद्यमों का सूचीकरण एवं चयन अंश १, २ एवं ९ के लिए अलग-अलग किया जायेगा । अंश २ के लिए संख्या १ के चयन क्रम वाले खे.स./उ.ख. पहले सूचीकृत होंगे और चयन क्रम संख्या २ वाले बाद में, लेकिन उद्यमों/परिवारों का चयन संयुक्त सूची से किया जाएगा ।

उद्यमों के ढ़ाचे तैयार/सूचीकृत करते समय यह नोट किया जाए कि परिवार के भवन के भीतर स्थित या निश्चित भवन के बगैर (मोबाईल विक्रेताओं जैसे) पारिवारिक सदस्यों द्वारा चलाये जाने वाले सभी उद्यमों का सूचीकरण ध्यान से करना होगा । ऐसे उद्यमों को तदनुरूप परिवारों के समक्ष सूचीकृत करना है जिसके लिए प्रत्येक परिवारों के यहाँ जाना आवश्यक है यह पता करने के लिए कि क्या पारिवारिक सदस्य का अपना उद्यम है । आगे ब्यौरा अध्याय दो में दिया गया है ।

१.३.१० द्वितीय चरण स्तर का गठन और अनुसूची २.३४ के लिए उद्यमों का आबंटन :

प्रत्येक प्रतिदर्श प्र.च.इ. के अन्दर उन्नीस (१९) द्वितीय चरण स्तर (sss) गठित किए जाएगें । द्वि.च.स्त. के विभिन्न बनावट निम्न हैं :

(i) **विनिर्माण क्षेत्र प्रतिष्ठानों** के लिए प्रत्येक अंश में विभिन्न विस्तृत विनिर्माण समूह को ध्यान में रखकर ५ द्वि.च.स्त. गठित किए जायेंगे : (१) **द्वि.च.स्त. १** - खाद्य उत्पाद, पेय और तम्बाकू उत्पाद, (२) **द्वि.च.स्त. २** - वस्त्र, चमड़ा आदि और कपास की ओटाई, सफाई और बेलिंग, (३) **द्वि.च.स्त. ३** - लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, मुद्रण और प्रकाशन आदि एवं फर्नीचर, (४) **द्वि.च.स्त. ४** - पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, रबड़, धातु, धातु उत्पाद, मशीनरी और उपकरण आदि और (५) **द्वि.च.स्त. ५** - शेष विनिर्माण कार्यकलापें ।

(ii) **व्यापार क्षेत्र प्रतिष्ठानों** के लिए प्रत्येक अंश में ४ द्वि.च.स्त. गठित किए जायेंगे : **द्वि.च.स्त. ६** - में कमीशन एजेन्टों के कार्यकलाप होंगे कमीशन एजेन्टों के कार्यकलाप को छोड़कर तीन और द्वि.च.स्त. गठित किए जायेंगे । वे निम्न हैं - **द्वि.च.स्त. ७** - व्यापार और मोटर वाहन और मोटर साईकिलों की मरम्मत, **द्वि.च.स्त. ८** - अन्य थोक व्यापार और **द्वि.च.स्त. ९** - अन्य खुदरा व्यापार

(iii) निम्नलिखित विस्तृत कार्यकलापों के तदनुरूप **सेवा क्षेत्र प्रतिष्ठानों (व्यापार को छोड़कर)** के लिए प्रत्येक अंश में ७ द्वि.च.स्त. गठित किए जायेंगे । **द्वि.च.स्त. १०** - आवास एवं खाद्य सेवा, **द्वि.च.स्त. ११** - परिवहन, भण्डारण, सूचना एवं संचार, **द्वि.च.स्त. १२** - वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप, द्वि.च.स्त. १३ - स्थावर सम्पदा और भाड़ा और व्यवसाय कार्यकलापें, **द्वि.च.स्त. १४** - शिक्षा, **द्वि.च.स्त. १५** - मानव स्थास्थ्य एवं सामाजिक कार्य, और **द्वि.च.स्त. १६** - अन्य सेवायें ।

(iv) स्व. कार्यरत्त उद्यमों (OAE) के लिए प्रत्येक अंश में ३ द्वि.च.स्त. गठित किए जायेंगे वे निम्न हैं : **द्वि.च.स्त. १७** - विनिर्माण में स्व-कार्यरत्त उद्यम, **द्वि.च.स्त. १८** - व्यापार में स्व-कार्यरत्त उद्यम और **द्वि.च.स्त. १९** - अन्य सेवाओं में स्व कार्यरत उद्यम ।

प्रत्येक द्वि.च.स्त. के अन्तर्गत समूहीकृत रा.औ.व. २००८ संकेतांकों को निम्नलिखित सारणी में सूचीकृत किया गया है ।

द्वि.च.स्त.	रा.औ.व.२००८ संकेतांक	मुख्य कार्यकलापों का विवरण
क. प्रतिष्ठान		
क. (१) विनिर्माण		

द्वि.च.स्त.	रा.औ.व.२००८ संकेतांक	मुख्य कार्यकलापों का विवरण
1	10-12	खाद्य उत्पाद, पेय और तम्बाकू उत्पाद
2	01632, 13-15	कपास की ओटाई, सफाई और बेंलिंग, वस्त्र, परिधान, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद
3	16-18, 31, 32	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, मुद्रण आदि
4	19-25, 27, 28, 33	पेट्रोलियम उत्पादों, रसायन, औषधीय, रबड़, प्लास्टिक, धातु, धातु-उत्पाद, मशीनरी और उपकरण आदि
5	26, 29, 30	शेष विनिर्माण कार्यकलापें
		क. (२) व्यापार
1	461	थोक व्यापार के लिए कमीशन एजेन्ट
7	45	मोटर वाहनों और मोटर साईकिलों का व्यापार और मरम्मत
8	462, 463, 464, 465, 466, 469	अन्य थोक व्यापार
9	47	अन्य खुदरा व्यापार
		क. (३) अन्य सेवायें
10	55, 56	आवास और खाद्य सेवा कार्यकलाप
11	49211, 49219, 4922, 4923, 50, 52, 53, 58-63	परिवहन, संग्रहण, सूचना और संचार
12	64300, 64309(स्व.से.दल), 6491, 64920, 64929(साहूकार के कार्यकलाप), 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663	वित्तीय और बीमा कार्यकलाप
13	68, 69, 70-75, 771, 772, 773, 78-82	स्थावर संपदा, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, भाड़ा और पट्टे के कार्यकलाप
14	85	शिक्षा
15	86-88	मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य
16	37-39, 90-93, 941, 9491, 9499, 95, 96	अन्य व्यक्तिगत सेवायें
		ख. स्व.का.उ. : विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवायें
17	01632, 10-33	विनिर्माण
18	45-47	व्यापार
19	37-39, 49211, 49219,4922, 4923, 50, 52-63, 64300, 64309, 6491, 64920, 64929, 6499, 65, 6612, 6619, 662, 663, 68, 69, 70-75,	अन्य सेवायें

द्वि.च.स्त.	रा.औ.व.२००८ संकेतांक	मुख्य कार्यकलापों का विवरण
	771, 772, 773, 78-82, 85-93, 941, 9491, 9499, 95, 96	
रा.औ.व. जो व्याप्ति के अन्तर्गत नहीं		
अनुभाग : ए, बी, डी, एफ, ओ,टी,यू, संकेतांक : ३६, ४९१, ४९२१२, ४९२१३, ४९३, ५१, ६४१, ६४२, ६६११, ७७४, ९४२, ९४९१ (केवल संगठनें), ९४९२		

१.३.११ उद्यमों का चयन

१.३.११.१ प्रत्येक प्र.च.इ. X अंश X द्वि.च.स्त. से सर्वेक्षण के लिए अंश ९ को छोड़कर चयन के लिए उद्यमों की संख्या नीचे दी गई है :

उद्यम प्रकार	क्षेत्र	द्वि.च.स्त. संख्या	सर्वेक्षण के लिए उद्यमों की संख्या	
			खे.स./उ.ख. गठन के बिना	खे.स./उ.ख. गठन के साथ (प्रत्येक अंश के लिए)
प्रतिष्ठान	विनिर्माण	1	2	1
		2	2	1
		3	2	1
		4	2	1
		5	2	1
		उप-कुल जोड़	**10**	**5**
	व्यापार	6	2	1
		7	2	1
		8	2	1
		9	2	1
		उप-कुल जोड़	**8**	**4**
	सेवायें	10	2	1
		11	2	1
		12	2	1
		13	2	1
		14	2	1
		15	2	1
		16	2	1
		उप-कुल जोड़	**14**	**7**
स्व-कार्यरत उद्यमें	विनिर्माण व्यापार सेवायें	17	4	2
		18	4	2
		19	4	2
		उप-कुल जोड़	**12**	**6**

यह नोट किया जाए कि प्रत्येक अंश x द्वि.च.स्त. से कम से कम एक उद्यम का सर्वेक्षण होना जरूरी है यदि तदनुरूप ढांचे में कुछ उद्यमें हैं । दूसरे शब्दों में, अनुसूची ०.० के खंड ५ए और ५बी में प्रयोग किए गए संकेत अनुसार e>0 यदि प्रत्येक प्र.च.इ. x अंश x द्वि.च.स्त. के लिए E>0

१.३.११.२ उप्रोक्त के अलावे, अंश ९ के सभी योग्य उद्यमों का सर्वेक्षण किया जायेगा ।

१.३.११.३ उद्यमों का चयन : प्रत्येक द्वि.च.स्त. से प्रतिदर्श परिवारों का चयन प्रतिस्थापन बगैर सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (SRWSOR) **द्वारा किया जायेगा ।**
तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिष्ठानों (विनिर्माण/व्यापार/अन्य सेवाओं) के विस्तृत वर्ग के लिए ढांचे के सभी प्रतिष्ठानों को चयनित किया जाएगा :

(i) सभी विनिर्माण प्रतिष्ठानों में यदि विनिर्माण द्वि.च.स्त. में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या अंश १ एवं २ दोनों को ध्यान में रखते हुए १० से कम या समान है ।

(ii) विनिर्माण प्रतिष्ठानों में यदि व्यापार द्वि.च.स्त.रों में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या अंश १ एवं २ दोनों को ध्यान में रखते हुए ८ से कम या समान है ।

(iii) सभी 'अन्य सेवा क्षेत्र' प्रतिष्ठानों में यदि अन्य सेवा द्वि.च.स्त.रों की कुल संख्या अंश १ एवं २ दोनों को ध्यान में रखते हुए १४ से कम या समान है ।

१.३.१२ कमी की पूर्ति (अंश १ एवं २): अंश १ और २ को एक साथ लेकर प्रति प्र.च.इ. में ४४ उद्यमों के प्रतिदर्श आबंटन प्रस्तावित किया गया है । एक या अधिक द्वि.च.स्तरों के ढांचे में उद्यमों की संख्या में कमी के चलते किसी द्वि.च.स्त. में प्रतिदर्श उद्यमों की आवश्यक संख्या में यदि कोई कमी है तो प्र.च.इ./अंश से चयनित उद्यमों की कुल संख्या के समस्त कमी को सुधारने के लिए अन्य द्वि.च.स्तरों के आबंटन को बढाने के लिए पूर्ति नियमों का प्रयोग किया जायेगा ।
भिन्न द्वि.च.स्त. में आवश्यक उद्यमों की संख्या में कमी की पूर्ती के लिए निम्नलिखित कृत्तिमता का अनुसरण किया जायेगा :

(i) विस्तृत वर्गों के बीच पूर्ति नहीं की जायेगी उदाहरण के लिए विनिर्माण में कमी के लिए सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र उद्यमों या इसके विपरीत पूर्ति नहीं की जाएगी ।

(ii) विनिर्माण प्रतिष्ठानों की संख्या १० से अधिक नहीं होगी, सेवा क्षेत्र (व्यापार को छोड़कर) प्रतिष्ठान १४ से अधिक नहीं और व्यापारिक प्रतिष्ठान ८ से अधिक नहीं होंगें ।

(iii) विनिर्माण स्व-कार्यरत उद्यमों की संख्या ६ से अधिक नहीं होगा, सेवा क्षेत्र स्व-कार्यरत उद्यम ६ से अधिक नहीं होगा ओर व्यापारिक स्व-कार्यरत उद्यम ६ से अधिक नहीं होगा ।

(iv) विनिर्माण उद्यमों (अर्थात स्व.का.उ. + प्रति.) की संख्या १४ से अधिक नहीं होगी, सेवा क्षेत्र (व्यापार छोड़कर अन्य) उद्यम (स्व.का.उ. + प्रति.) १८ से अधिक नहीं होगें और व्यापारिक उद्यमें (स्व.का.उ. + प्रति.) १२ से अधिक नहीं होगें ।

(v) प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के द्वि.च.स्त. में पूर्ति के लिए प्राथमिकता क्रम द्वि.च.स्त.संख्या के आरोही क्रम में होगा (अर्थात विनिर्माण प्रतिष्ठानों के लिए क्रम १,२,३,.....५ होगा) । तथापि, द्वि.च.स्त. ५ में कमी को द्वि.च.स्त. १ से पूर्ति की जाएगी, द्वि.च.स्त. ९ में कमी को द्वि.च.स्त. ६ से पूर्ति की जाएगी, और द्वि.च.स्त. १६ में कमी को द्वि.च.स्त. १० से पूर्ति की जाएगी । स्व.का.उ. सहित सभी द्वि.च.स्त. के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नलिखित अनुच्छेद में दिये गये हैं :

१.३.१२.१ उद्यमों की कमी की पूर्ति : अनुसूची २.३४ के लिए, किसी एक द्विचस्त के ढांचे में उद्यमों की कमी को अन्य अंश के उसी द्विचस्त से अथवा उसी या अन्य अंश के अन्य द्विचस्त, जहाँ अतिरिक्त उद्यम उपलब्ध हैं, से नीचे दिए गए प्राथमिकता क्रम का पालन करते हुए पूरा किया जायेगा । इसकी क्रियाविधि निम्नलिखित है :

कदम १ : जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक द्वि.च.स्त. को उद्यमों की आवश्यक संख्या आबंटित करें और उन द्विचस्तरों की पहचान करें जिनमें कमी है ।

कदम २ : खे.स./उ.खं. गठन के मामले में, यदि उपलब्ध हों, तो कमी वाले सभी द्विचस्तरों के लिए अन्य अंश के उसी द्विचस्त से क्षतिपूर्ति करें । यदि फिर भी कमी रह जाती है जो कमी वाले द्विचस्त की पहचान करें और कदम ३ उठायें ।

कदम ३ : प्राथमिकता क्रम को अपनाते हुए उस द्विचस्त की पहचान करें, जहाँ अतिरिक्त उद्यम उपलब्ध हैं और तब क्षतिपूर्ति करें ।

किस द्विचस्त से क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए निम्नलिखित सारणी सहायक होगी :

कमी वाले द्वि.च.स्त. अनुसूची २.३४	क्षतिपूर्ति के लिए द्वि.च.स्त. का प्राथमिकता क्रम
विनिर्माण	
१	२,३,४,५,१७
२	१,३,४,५,१७
३	१,२,४,५,१७
४	१,२,३,५,१७
५	१,२,३,४,१७
१७	१,२,३,४,५
व्यापार	
६	७,८,९,१८
७	६,८,९,१८
८	६,७,९,१८
९	६,७,८,१८
१८	६,७,८,९
अन्य सेवाएं	
१०	११,१२,१३,१४,१५,१६,१९
११	१०,१२,१३,१४,१५,१६,१९
१२	१०,११,१३,१४,१५,१६,१९
१३	१०,११,१२,१४,१५,१६,१९
१४	१०,११,१२,१३,१५,१६,१९
१५	१०,११,१२,१३,१४,१६,१९
१६	१०,११,१२,१३,१४,१५,१९
१९	१०,११,१२,१३,१४,१५,१६

१.३.१२.२ आगे और विवरण के लिए यदि खे.स./उ.खं. गठन हुआ है, यदि कमी अंश १ के द्वि.च.स्त. ३ में है, तो कदम २ और कदम ३ के विवरण नीचे दिए गए हैं ।

कदम २ : अंश ४ के द्विचस्त ३ की कमी की क्षतिपूर्ति अंश २ के द्विचस्त ३ से करने का प्रयत्न करें ।

यदि फिर भी अंश १ के द्विचस्त ३ में कमी रह जाये, तो

कदम ३ : अंश १ के द्विचस्त १ से क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करें, यदि ऐसा न हो तो अंश २ के द्वि.च.स्त. १ से प्रयत्न करें । यदि फिर भी कमी बनी रहे तो अंश १ के द्वि.च.स्त. २ से, ऐसा न होने पर अंश २ के द्वि.च.स्त. २ से और इसी प्रकार आगे प्रयत्न करें । पूर्ति करते व्यक्त यह भी ध्यान रखा जाए कि स्व-कार्यरत उद्यमों के अधिकतम आबंटन के लिए द्वि.च.स्त. १७/१८/१९ प्रत्येक के लिए ६ है ।

प्रत्येक द्वि.च.स्त. के लिए उद्यम की परिणामी संख्या (e) को अनुसूची ०.० के खंड ५b के सम्बंधित कालम(मों) के सबसे ऊपर और खंड ६b के सम्बंधित द्वि.च.स्त. × अंश के सामने कालम ५ में भी दर्ज किया जायेगा ।

कमी की क्षतिपूर्ति के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं ।

अनुसूची २.३४ के लिए क्षतिपूर्ति के उदाहरण

उदाहरण १ - बगैर खे.स./उ.खं. गठन वाले प्रचइ

विनिर्माण उद्यमों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति

द्वि.च.स्त.	प्रविष्टियों की संख्या जो सर्वेक्षित होंगी	E	कदम १	कदम ३	e
१	२	२	२		२
२	२	१	१*(१)	सी (द्वि.च.स्त ४)	१
३	२	०	०*(२)	सी(द्वि.च.स्त४और ५)	०
४	२	४	२	१+१	४
५	२	६	२	१	३
१७	४	५	४		४
कुल	१४	१८	११	३	१४
कमी			३	०	X

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

उदाहरण २ - खे.स./उ.खं. गठन वाले

विनिर्माण उद्यमों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति

अंश सं.	द्वि.च.स्त.	सर्वेक्षित होने वाले उद्यमों की सं.	E	कदम १	कदम २	कदम १ + कदम २	कदम ३	e
१	१	१	२	१		१	१	२
	२	१	१	१		१		१
	३	१	२	१		१		१
	४	१	०	०*(१)		०*(१)	सीद्वि.च.स्त. १)	०
	५	१	५	1		१		१
	१७	२	२	2		२		२
	कुल	७	१२	६		६	१	७
२	१	१	१	१		1		१
	२	१	०	०*(१)		०*(१)	सीद्वि.च.स्त. ३)	०
	३	१	४	१		1	१+१	३
	४	१	०	०*(१)		०*(१)	सीद्वि.च.स्त. ३)	०
	५	१	३	1		1		१
	१७	२	१	१*(१)		१*(१)	**	१
	कुल	७	९	४		४	२	६
	१-५	१०	१८	७		७	३	१०
	१७	४	३	३		३		३
	कुल	१४	२१	१०		१०	३	१३
कमी				४		४	१	X

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

**क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी क्योंकि द्वि.च.स्त. १ से ५ के लिए १० की अधिकतम कोटा पहले से ही हो गई है ।

उदाहरण ३ - बगैर खे.स./उ.खं. गठन

व्यापारिक उद्यमों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति

द्वि.च.स्त.	प्रविष्टियों की संख्या जो सर्वेक्षित होंगी	E	कदम १	कदम ३	e
६	२	२	२		२
७	२	१	१*(१)	सी (द्वि.च.स्त १८)	१
८	२	०	०*(२)	सी **(द्वि.च.स्त १८)	०
९	२	०	०*(२)	**	०
१८	४	२०	४	१+१	६
कुल	१२	२३	७	२	९
कमी			५	३	X

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

** द्वि.च.स्त. ८ के लिए केवल एक उद्यम की क्षतिपूर्ति की गई है और द्वि.च.स्त. ९ के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई है क्योंकि द्वि.च.स्त.१८ के लिए अधिकतम कोटा ६ पहले से ही प्राप्त की जा चुकी है ।

उदाहरण ४ - खे.स./उ.खं. गठन वाले

व्यापारिक उद्यमों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति

अंश सं.	द्वि.च.स्त.	सर्वेक्षित होने वाले उद्यमों की सं.	E	कदम १	कदम २	कदम १ + कदम २	कदम ३	e
१	६	१	०	०*(१)		०*(१)	सीद्वि.च.स्त.७)	०
	७	१	३	१		१	१	२
	८	१	२	१	१	२		२
	९	१	१	१		१		१
	१८	२	१४	2		२		२
	कुल	६	२०	५	१	६	१	७
२	६	१	१	१		1		१
	७	१	२	१		१	१	२
	८	१	०	०*(१)	सी(द्वि.च.स्त.८)	0		०
	९	१	०	०*(१)		०*(१)	सीद्वि.च.स्त.७)	०
	१८	२	५	२		२		२
	कुल	६	८	४		४	१	५
१+२	६-९	८	९	५	१	६	२	८
	१८	४	१९	४		४		१४
	कुल	१२	२८	९	१	१०	२	१२
कमी				३		२	-	X

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

उदाहरण ५ - बगैर खे.स./उ.खं. गठन

अन्य सेवा क्षेत्र उद्यमों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति

द्वि.च.स्त.	प्रविष्टियों की संख्या	E	कदम १	कदम ३	e

			जो सर्वेक्षित होंगी		
१०	२	२	२		२
११	२	०	०*(२)	सी (द्वि.च.स्त १८)	०
१२	२	५	२	२ + १	५
१३	२	३	२	1	३
१४	२	२	२		२
१५	२	०	०*(२)	सी (द्वि.च.स्त१२,१३)	०
१६	२	३	२	-	२
१९	४	३	३*(१)	**	३
कुल	१८	१८	१३	४	१७
	कमी		५	१	X

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

** कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई है क्योंकि द्वि.च.स्त.१०-१६ के लिए अधिकतम कोटा १४ पहले से ही प्राप्त की जा चुकी है ।

उदाहरण ६ - खे.स./उ.खं. गठन वाले

अन्य सेवा क्षेत्र उद्यमों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति

अंश सं.	द्वि.च.स्त.	सर्वेक्षित होने वाले उद्यमों की सं.	E	कदम १	कदम २	कदम १ + कदम २	कदम ३	e
	१०	१	२	१		१	१	२
	११	१	२	१	१	२		२
	१२	१	५	१		१	१+१+१	४
	१३	१	१	१		१		१
१	१४	१	०	०*(१)		०*(१)	सी(द्वि.च.स्त.१०)	०
	१५	१	०	०*(१)	सी(द्वि.च.स्त.१५)	0		०
	१६	१	०	०*(१)		०*(१)	सी(द्वि.च.स्त.१२)	०
	१९	२	८	2	1	३		३
	कुल	९	१८	६	२	८	४	१२
	१०	१	१	१		1		१
	११	१	०	०*(१)	सी(द्वि.च.स्त.१९)	०		०
	१२	१	१	१		1		१
	१३	१	३	१		१		१
२	१४	१	०	०।(१)		०*(१)	सी(द्वि.च.स्त.१२)	०
	१५	१	३	1	1	2		२
	१६	१	०	०*(१)		०*(१)	सी(द्वि.च.स्त.१२)	०
	१९	२	१	१*(१)	सी(द्वि.च.स्त.१०)	१		१
	कुल	९	९	५	१	६		६
१+२	१०-१६	१४	१८	८	२	१०	४	१४
	१९	४	९	३	१	४		४
	कुल	१८	२७	११	३	१४	४	१८
		कमी		७		४	-	X

* कमी वाले द्वि.च.स्त. को सूचित करता है (कमी की संख्या) ;
सी - की गई क्षतिपूर्ति को सूचित करता है (द्वि.च.स्त. जिससे क्षतिपूर्ति की गई है)

१.४ संकल्पनायें एवं परिभाषायें

१.४.० इस सर्वेक्षण की संबंधित अनुसूचियों में उपयोग की गई महत्वपूर्ण संकल्पनायें एवं परिभाषायें नीचे दी गई है ।

१.४.१ जनसंख्या व्याप्ति : उद्यमों को सूचीबद्ध करते समय सर्वेक्षण दायरे में आने वाली जनसंख्या/परिवारों से संबंधित निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाना है ।

१. जेल में विचाराधीन कैदी तथा अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि में भर्ती रोगियों को सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जायेगा परंतु, वहां के आवासीय कर्मचारी ऐसी संस्थाओं के सूचीकरण के समय शामिल किये जायेंगे । उपरोक्त कैदी, रोगी आदि अपने पैतृक परिवार के सामान्य सदस्य माने जायेंगे और उनकी गिनती उनके परिवार के साथ ही की जायेगी । सजा भुगत रहे सिद्ध अपराधी इस सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रहेंगे ।

२. यायावर जनसंख्या, अर्थात् ऐसे परिवार जिनका कोई सामान्य आवास नहीं है, सूची में शामिल नहीं की जायेगी । परंतु ऐसे व्यक्ति जो खुले स्थान में, सड़क किनारे, पुल आदि के नीचे न्यूनाधिक नियमित रूप से रहते हैं, सूचीबद्ध किये जायेंगे ।

३. विदेशी नागरिक शामिल नहीं किये जायेंगे, न ही उनके घरेलू नौकर शामिल होंगे, यदि वे परिभाषा के अनुसार विदेशी परिवार के सदस्य माने जाते हैं । तथापि, परिवार के परिसर में स्थित या बगैर किसी स्थायी परिसर के, ऐसे परिवार के एक सदस्य द्वारा एक उद्यम चलाया जाता है, तो उसे एक उद्यम के रूप में सूचिबद्ध किया जाएगा ।

४. सर्वेक्षण संचालित करने में आने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर सैनिक और अर्धसैनिक बल (जैसे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल आदि) की बैरकों में रहने वाले व्यक्तियों को इस सर्वेक्षण से बाहर रखा गया है । तथापि, उनके आस-पड़ोस और सैन्य-कर्मियों के पारिवारिक क्वार्टरों में रहने वाली असैनिक जनसंख्या सर्वेक्षण क्षेत्र में शामिल होंगी, यद्यपि इसके लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ सकती है ।

५. अनाथालय, उद्धार-गृह, आश्रम और आवारा घर इस सर्वेक्षण क्षेत्र से बाहर रहेंगे परंतु उन संस्थाओं के परिसर के अंदर स्थित कोई उद्यम यदि चलाया जाता है तो उसे सूचीबद्ध करना है । तथापि, वृद्ध-गृहों में रहने वाले व्यक्तियों, आश्रम/छात्रावासों में रहनेवाले छात्र और आश्रम के आवासीय कर्मचारी (संन्यासी/संन्यासिनी को छोड़कर) ऐसे परिवारों के द्वारा उद्यमों की पहचान करने के उद्देश्य से परिवारों का गठन करता हुआ माना जाएगा (रा.प्र.स. की स्थायी प्रथानुसार) । अनाथालयों के लिए, हालांकि अनाथों का सूचीकरण नहीं करना है परन्तु उनकी देखभाल करने तथा वहीं रहने वालों का सूचीकरण किया जाना है ।

१.४.२ मकान : प्रत्येक संरचना, तम्बू, शरणस्थल आदि एक मकान है भले ही उसका उपयोग किसी रुप में होता हो । इसका उपयोग आवासीय या गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए या दोनों के लिए हो सकता है या यह खाली भी हो सकता है ।

१.४.३ परिवार : व्यक्तियों का एक समूह जो सामान्यतः साथ रहते हैं और एक ही रसोई में तैयार किया गया भोजन ग्रहण करते हैं, एक परिवार बनायेगा । इसमें अस्थायी रुप से बाहर गये व्यक्ति शामिल होंगे (अर्थात् वे जिनके परिवार से अनुपस्थित रहने की अवधि ६ महीने से कम की है) परंतु अस्थायी तौर पर आने वाले मुलाकाती और मेहमान (जिनके परिवार में रहने की सम्भावित अवधि ६ महीने से कम है) शामिल नहीं होंगे । यद्यपि एक परिवार की वास्तविक बनावट का निर्धारण परिवार के मुखिया के कथनानुसार ही होगा, तथापि इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रियायें मार्गदर्शन के रुप में अपनायी जायेंगी :-

(i) एक होस्टल, मेस, होटल, भोजनालय और वासगृह आदि का प्रत्येक आवासी (आवासीय कर्मचारियों सहित) एक एकल सदस्यीय परिवार का गठन करेगा । तथापि, यदि कुछ व्यक्तियों का एक समूह अपनी आय को एक साथ खर्च करने के लिए मिला लेते हैं, तो वह समूह इकट्ठे एक एकल परिवार माना जायेगा । उदाहरणार्थ, किसी होटल में रहने वाला एक परिवार अपने आप में एक अलग परिवार माना जायेगा ।

(ii) एक परिवार का गठन सुनिश्चित करते समय "साधारणतः एक ही रसोई में भोजन करने वालों" की अपेक्षा "साधारणतः एक साथ रहने वालों" पर अधिक जोर दिया जायेगा । यदि किसी व्यक्ति का निवास स्थान उसके भोजन करने के स्थान से अलग हो तो वह उस परिवार का सदस्य माना जायेगा, जिसके साथ वह रहता/रहती है ।

(iii) रिहायशी कर्मचारी, घरेलू नौकर और पेइंग गेस्ट (परन्तु मकान का केवल किराएदार नहीं) को उस परिवार का सदस्य माना जाएगा, जिसके साथ वह रहता/रहती है, यद्यपि वह उस कुटुम्ब का सदस्य नहीं है ।

(iv) यदि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर सोता है (जैसे जगह की कमी के कारण किसी दुकान या अन्य मकान के किसी कमरे में) पर सामान्यतया अपने परिवार के साथ ही भोजन करता है तो उसे एक सदस्यीय परिवार नहीं माना जाएगा बल्कि उसी परिवार का एक सदस्य माना जायेगा जहां उसके परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं ।

(v) यदि किसी परिवार का एक सदस्य (जैसे, परिवार के प्रधान का पुत्र या पुत्री) किसी अन्य जगह रहता हो (जैसे पढ़ाई या किसी अन्य कारणवश छात्रावास में), तो उसे अपने माता-पिता के परिवार का सदस्य नहीं माना जायेगा । उसे एक सदस्यीय परिवार के रुप में सूचीबद्ध किया जायेगा जब वह छात्रावास सूचीबद्ध होता है ।

१.४.४ लोक-निर्माण : इसके अंतर्गत वे कार्यकलाप आते हैं जो सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित होते हैं और जिनके अधीन स्थानीय विकास कार्य जैसे, सड़कों, बांधों, बंदों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, आदि किये जाते हैं । ये कार्य राहत उपायों के रुप में या निर्धनता उपशमन कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (स.ग्रा.रो.यो.), राष्ट्रीय कार्य के लिए खाद्य योजना (एन.एफ.एफ.उब्ल्यू.पी.), आदि के अधीन किये जाते हैं ।

१.४.५ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार गारंटी अधिनियम, २००५ देश के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के अधिकार के कार्यान्वयन और परिवारों की जीविका सुरक्षा में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । यह योजना प्रत्येक उस परिवार को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वैच्छिक रुप से तैयार होते हैं । वयस्क व्यक्ति वह है, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है । अकुशल शारीरिक कार्य का अर्थ है, कोई भी शारीरिक कार्य जिसे कोई वयस्क व्यक्ति बगैर किसी विशेष कुशलता/प्रशिक्षण के करने में सक्षम होता है । इस योजना के कार्यान्वयन की एजेंसी केन्द्रीय सरकार या एक राज्य सरकार का कोई विभाग, एक जिला परिषद, पंचायत/ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय निकाय या सरकारी उद्यम या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत गैर-सरकारी संगठन हो सकता है । यदि इस योजना के अधीन रोजगार के लिए एक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की प्राप्ति से या जब से रोजगार की मांग की गई उस तिथि से १५ दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया गया, तो प्रार्थी दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा ।

१.४.६ उद्यम : एक उद्यम वह उपक्रम है जो कुछ वस्तुओं और/या सेवाओं के उत्पादन और/या वितरण में लगा हुआ होता है जिसका मुख्य प्रयोजन पूर्णतः या अंशतः अपने उत्पाद की बिक्री है । एक उद्यम एक परिवार या संयुक्त रुप से कई परिवारों या एक संस्थागत निकाय के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा संचालित हो सकता है ।

१.४.७ गैर-कृषि उद्यम : राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) २००८ अनुच्छेद 'C' से 'S' के अंतर्गत आने वाले सभी उद्यम "गैर-कृषि उद्यम" हैं । विभिन्न अनुसूचियों में रा.औ.व. संकेतांक दर्ज करने के लिए NIC २००८ पुस्तिका का उपयोग किया जा सकता है । अन्य सभी गैर-कृषि उद्यमों को यहां आगे इस सर्वेक्षण हेतु गै.कृ.उ. कहा गया है ।

१.४.८ असमाविष्ट गैर-कृषि उद्यम : गैर-कृषि उद्यम जो समाविष्ट नहीं हैं (अर्थात १९५६ के कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं) को नहीं लिया जायेगा । आगे, 'असमाविष्ट उद्यमों' के क्षेत्र में (क) फैक्ट्री अधिनियम,

१९४८ के अनुभाग 2m(i) और 2m(ii) के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमें या अधिनियम १९६६ बिड़ी और सिगार कामगारों रोजगार की शर्तें के अंतर्गत पंजीकृत बिड़ी और सिगार विनिर्माण उद्यमों (ख) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और (ग) सहकारी इसमें शामिल नहीं होगें । अतः व्याप्ति सभी पारिवारिक मालिकाना और साझेदारी उद्यमों तक ही सीमित रहेगी । इसके अलावे, स्वयं सहायता समूह (SHGs), निजी गैर-लाभ संस्थायें (NPIs) गैर-लाभ संस्थाओं सेवक परिवार (NPISH) सहित और निकाय को लिया जायेगा ।

१.४.९ विनिर्माण उद्यम : विनिर्माण उद्यम एक इकाई है जो माल, पदार्थ या संघटकों को भौतिक या रसायनिक रूपान्तरण से नई उत्पाद बनाने में कार्यरत है । इसमें दूसरे संस्थानों द्वारा सप्लाई की गई माल पर काम करने वाले इकाई भी शामिल होगें । इसमें उद्योग के रखरखाव और मरम्मत में लगी हुई इकाई, वाणिज्य और मशीनरी एवं उपस्करों, जिन्हें सामान्यतः वस्तुओं के विनिर्माण में विशिष्टीकृत के साथ विनिर्माण वर्ग में रखा गया है, को शामिल किया जायेगा ।

अतः सभी कार्यकलापें जो रा.औ.व.-२००८ के अनुभाग १० से ३३ में आते हैं और रा.औ.व.-२००८ की व्याप्ति में हैं, को सर्वेक्षण के प्रयोग के लिए 'विनिर्माण' में लिया जायेगा । इसके अलावे, कपास की कटाई, सफाई और बेलिंग रा.औ.व-२००८ संकेतांक ०१६३२) के कार्यकलाप को भी वर्तमान सर्वेक्षण में लिया जायेगा । *यह मुख्यतः नोट किया जाए कि वस्तु का उत्पाद केवल अपने घरेलू उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है, को विनिर्माण में नहीं लिया जायेगा ।*

१.४.१० व्यापारिक उद्यम : एक व्यापारिक उद्यम एक औद्योगिक संस्थान है जो व्यापार में लगी हुई है । वस्तुओं की खरीद और वस्तुओं का किसी भी तरह का भौतिक रूपान्तरण किये बगैर बिक्री से उसे निपटाने की क्रिया ही व्यापार की परिभाषा है । अतः सभी व्यापारिक कार्यकलाप, रा.औ.व.-०८ अनुभाग ४५ से ४७ के अंतर्गत सूचीकृत थोक और खुदरा (बारहमासी, आकस्मिक या मौसमी) दोनों को व्यापार माना जायेगा । मध्यस्थ के कार्यकलाप जो कि वास्तव में वस्तुओं की खरीद या बिक्री नहीं करते मगर केवल वस्तुओं की खरीद और बिक्री की व्यवस्था करते है और कमीशन एवं दलाली के रूप में पारिश्रमिक पाते हैं को भी व्यापार में लिया जायेगा । अतः रा.औ.व. २००८ अनुभाग के अन्तर्गत सूचीकृत खरीद और बिक्री एजेन्ट, दलाल और रा.औ.व. समूह में सूचीकृत नीलामकार को भी सर्वेक्षण की व्याप्ति में लिया जायेगा ।

१.४.११ सेवा उद्यम : एक सेवा उद्यम या सेवा क्षेत्र उद्यम वो है जो उपभोज्य इकाई के लाभ के लिए कार्यकलाप करने में लगी होती है और उपभोज्य इकाई के माँग पर सेवा इकाइयों के कार्यकलाप द्वारा उपभोज्य इकाई को प्रतीकात्मक शर्तों से अवगत करती है । एक इकाई के लिए यह संभव है कि वह अपने उपभोग के लिए सेवा का उत्पाद कर सकती है बशर्ते कि वह इस प्रकार का कार्यकलाप हो जो अन्य इकाई द्वारा भी किया जा सकता है । सेवा के उपभोक्ता की शर्तों में सेवा के उत्पादक द्वारा लाए गए बदलाव के कुछ उदाहरण है :

(क) उपभोज्य वस्तुओं के शर्तों के बदलाव : उपभोक्ता के स्वामित्वाधीन वस्तुओं को उत्पादक सीधे ले जाना, सफाई करना, मरम्मत या अन्यथा हस्तान्तरित करना उसमें से है ;

(ख) व्यक्ति के शारीरिक शर्तों में बदलाव : उत्पादक व्यक्ति को ले जाना उन्हें आवास उपलब्ध कराता है, उनके लिए चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराना, उनके रूप रंग बढ़ाना आदि करता है ;

(ग) व्यक्ति के मानसिक स्थिति को बदलना : उत्पादक शिक्षा, सूचना, सलाह, मनोरंजन या समान सेवायें उपलब्ध कराता है ;

(घ) स्वयं संस्थागत इकाई के सामान्य आर्थिक स्थिति में बदलाव : उत्पादक बीमा, वित्तीय मध्यस्थता, सुरक्षा, गारंटी आदि उपलब्ध कराता है ।

रा.औ.व.-२००८ के अन्तर्गत डी-यू, अनुभाग जी (व्यापार) को छोड़कर सभी कार्यकलाप *व्यापार को छोड़कर सेवा कार्यकलाप* माने जायेगें । तथापि, अनुभाग डी (विद्युत, गैस, भाप और वातानुकूलन की सप्लाई) एफ (निर्माण), ओ (सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा बाध्यकर सामाजिक सुरक्षा) टी (नियोक्ता का पारिवारिक कार्यकलाप) और यू

(राज्यक्षेत्रातीत संगठन और निकाय) को इस सर्वेक्षण की व्याप्ति से बाहर रखा गया है । पैरा १.२.१ में वर्णित अनुसार केवल सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों को ही व्याप्ति के अन्तर्गत सर्वेक्षण के लिए रखा गया है । इनमें से भी, रा.औ.व.-२००८ संकेतांक के अन्तर्गत कुछ कार्यकलाप को सर्वेक्षण की व्याप्ति से बाहर रखा है : ३६ (जल एकत्रण, अभिक्रिया और आपूर्ति) ४९१ (परिवहन रेल द्वारा), ४९२१२ (नगरीय या उप नगरीय ट्रामवेज), ४९२१३ (नगरीय या उप-नगरीय भूमिगत या ऊँजा रेल), ४९३ (परिवहन पाइपलाइन द्वारा), ५१ (वायु परिवहन), ६४१ (वित्तीय मध्यस्थता), ६४२ (नियन्त्रक कम्पनी के कार्यकलाप), ६६११ (वित्तीय बाजार का प्रशासन), ७७४ (गैर-वित्तीय अप्रत्यक्ष सम्पत्तियों को पट्टे पर देना), ९४२ (व्यापार संगठनों के कार्यकलाप), ९४९१ (धार्मिक संगठनों के कार्यकलाप इसमें व्यक्तिगत कार्यकलाप भी शामिल हैं), ९४९२ (राजनैतिक संगठनों के कार्यकलाप) ।

१.४.१२ वित्तीय उद्यम : एक वित्तीय उद्यम सेवा उद्यम है जो मूलतः वित्तीय मध्यस्थता में या गौण वित्तीय कार्यकलाप जो वित्तीय मध्यस्थता से काफी संबंधित है में लगी हुई है । एक वित्तीय मध्यस्थता एक उत्पादनकारी कार्यकलाप है जिसमें एक संस्थागत इकाई बाजार से वित्तीय लेनदेन में लग कर वित्तीय परिसम्पत्तियों के खरीद के प्रयोजन के लिए उपने खाते पर देयता उठाती है । वित्तीय मध्यस्थता महाजन (साहूकार) से कर्जदार को निधि दिलाने के लिए उनके बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं ।

१.४.१३ पारिवारिक उद्यम : एक पारिवारिक उद्यम वह है जो एक परिवार के एक या अधिक सदस्यों द्वारा या दो अथवा अधिक परिवारों द्वारा साझेदारी आधार पर संयुक्त रुप से चलाया जाता है भले ही वह उद्यम परिवार(रों) के परिसरों में स्थित हो या न हो । दूसरे शब्दों में, सभी मालीकाना और साझेदारी उद्यमें पारिवारिक उद्यमें हैं ।

१.४.१४ गैर-परिवारिक उद्यम : गैर-परिवारिक उद्यम वे हैं जो संस्थागत हैं अर्थात् जो सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्रीय या राज्य सरकार, स्थानीय स्व-सरकार, स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम, आदि), निगमित क्षेत्र, सहकारी सोसाइटी, अन्य प्रकार की सोसाइटियों, संस्थानों, एसोसियेशनों, न्यासों के स्वामित्व में हैं और उनके द्वारा चलाये जाते हैं । सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गैर-पारिवारिक उद्यम वर्तमान सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए जाएंगे ।

१.४.१५ स्व-कार्यरत उद्यम (स्व.का.उ.) : स्व-कार्यरत उद्यम एक ऐसा उद्यम है जो पारिवारिक श्रमिक द्वारा बिना किसी भाड़े के कर्मी को "स्पष्टतया नियमित आधार" पर नियोजित किये बिना चलाया जाता है । "स्पष्टतया नियमित आधार" का तात्पर्य है संदर्भ अवधि की एक बड़ी अवधि जब उद्यम का संचालन किया जा रहा था ।

१.४.१६ अधिष्ठान : वे उद्यमें, जिन्होंने 'स्पष्टतया नियमित आधार' पर कम-से-कम एक भाड़े का कर्मी रखा, अधिष्ठान कहलाते हैं । एक उद्यम में प्रदत्त या अप्रदत्त प्रशिक्षु, प्रदत्त पारिवारिक सदस्य/नौकर/आवासीय कर्मचारी किराये के कर्मचारी माने जाते हैं ।

१.४.१७ गैर-निर्देशिका अधिष्ठान (गै.नि.अ.) : एक से पांच कर्मचारियों (पारिवारिक और किराये के दोनों) वाले एक अधिष्ठान को एक गैर-निर्देशिका अधिष्ठान कहा जाता है ।

१.४.१८ निर्देशिका अधिष्ठान (नि.अ.) : एक निर्देशिका अधिष्ठान वह है जिसमें छह या अधिक कर्मचारी (पारिवारिक और किराये के दोनों) लगे होते हैं ।

१.४.१९ बारहमासी उद्यम : वे उद्यमें, जो पूरे वर्ष के दौरान न्यूनाधिक लगातार चलते हैं, 'बारहमासी उद्यम' कहलाते हैं ।

१.४.२० मौसमी उद्यम : मौसमी उद्यम वे हैं, जो सामान्यतः किसी एक मौसम में या एक वर्ष के निश्चित महीनों में चलते हैं ।

१.४.२१ आकस्मिक उद्यम : वे उद्यम जो कभी-कभी चलते हैं अर्थात् जो पिछले ३६५ दिनों के दौरान कुल मिलाकर कम से कम ३० दिन चले हैं, को 'आकस्मिक उद्यम' कहा जाता है ।

१.४.२२ स्वामित्व के आधार पर उद्यमों का वर्गीकरण :

(i) **मालिकाना :** जब एक व्यक्ति एक उद्यम का एकमात्र स्वामी हो तो वह उद्यम एक मालिकाना उद्यम हैं । स्वयं के उपयोग के लिए अचल परिसंपत्ति का स्वकार्यरत उत्पादन, जब एक एकमात्र सदस्य द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो उसे मालिकाना उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जाता है ।

(ii) **साझेदारी :** साझेदारी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है : "उन व्यक्तियों के बीच में सम्बंध, जो उन सभी के द्वारा या उन सभी के लिए कार्य करने वाले उनमें से एक द्वारा चलाये जाने वाले एक व्यापार से प्राप्त लाभ को बांट लेने के लिए सहमत हैं ।" स्वामी एक या अधिक उसी परिवार के या अन्य परिवारों के एक साझेदारी आधार पर औपचारिक पंजीकरण सहित या उसके बगैर (जहां उन तथाकथित साझेदारों के बीच लाभ के बंटवारे के बारे में एक अनकहा समझौता होता है) हो सकता है । जब एक ही या भिन्न परिवारों के दो या अधिक सदस्यों द्वारा अचल परिसंपत्ति का स्वकार्यरत उत्पादन किया जाता है तो उसे साझेदारी उद्यम माना जाता है । इस प्रकार, परिवारों के एक समूह द्वारा अचल परिसंपत्ति का समुदाय के उपयोग के लिए स्वकार्यरत उत्पादन, साझेदारी उद्यम के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा । **ध्यान रखा जाएगि लिमिटेड लायबिलिटि पार्टनरशीप (एलएलपी) अधिनियम, २००८ के तहत पंजीकृत साझेदारी उद्यम सर्वेक्षण के दायरे से बाहर हैं । साथ ही, फैक्टरी अधिनियम, १९४८ के तहत पंजीकृत साझेदारी उद्यम भी सर्वेक्षण दायरे से बाहर हैं ।**

(iii) **सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम :** एक उद्यम, जो पूर्णतः केन्द्रीय या राज्य सरकारों, अर्ध-सरकार, संस्थानों, स्थानीय निकायों पंचायत, जिला परिषद्, नगर निगम, नगरपालिका प्राधिकरण, आदि, स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालयों, शिक्षा बोर्डों, और सरकार, पंचायत, आदि द्वारा स्थापित संस्थाएं जैसे स्कूल, पुस्तकालय आदि द्वारा स्वामित्वाधीन/चलाया/प्रबंधित होता है, को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम माना जाएगा । एक एकल या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वामित्वाधीन/प्रबंधित उद्यम जिसमें सरकार स्थानीय निकाय आदि की कोई भागीदारी न हो, प्रबंधन और हिस्सेदारी दोनों में ही, को एक निजी क्षेत्र उद्यम माना जाएगा । एक उद्यम को एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नहीं मानना चाहिए यदि यह सरकार, स्थानीय निकाय आदि द्वारा दिये गये एक ऋण से चलता है ।

(iv) **प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी :** प्राइवेट कम्पनी का तात्पर्य उस कम्पनी से है जो अपने नियमों के अनुसार :

(क) अपने शेयरों, यदि कोई हो, के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है;
(ख) अपने सदस्यों की संख्या को पचास तक सीमित करती है, जिसमें ये शामिल नहीं होते -
I. वे व्यक्ति, जो कंपनी के नियोजन में हैं;
रूरू. वे व्यक्ति, जो पूर्व में कंपनी के नियोजन में थे और नियोजन के दौरान सदस्य भी थे और नियोजन के रद्द हो जाने के बाद भी सदस्य बने हुए हैं,

(ग) कम्पनी के किसी शेयर या डिबेंचर के लिए जनता द्वारा पूर्वक्रय के उपक्रम को निषेध करती है ।
[जब एक कम्पनी में दो या अधिक शेयर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रुप से धारण किये गये हैं, तो इस परिभाषा के उद्देश्य के लिए उन्हें एक एकल सदस्य द्वारा धारित माना जायेगा ।]

(v) **सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी :** एक सार्वजनिक (पब्लिक) लिमिटेड कम्पनी उसे कहा जाता है जो एक निजी कम्पनी नहीं है । ऐसी सार्वजनिक कम्पनी के असीमित सदस्य हो सकते हैं और यह जनता को अपने शेयर और डिबंचरों की खरीद के लिए आमंत्रित कर सकती है । एक सार्वजनिक कम्पनी बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात है ।

(vi) **सहकारी समितियां :** सहकारी समिति वह है जिसका गठन कुछ लोगों के सहयोग से उनके अपने हित के लिए किया जाता है । ये लोग उस समिति के सदस्य कहलाते हैं । इस प्रक्रिया में, सदस्यों के अंशदान/निवेश से निधि जमा की जाती है और समिति के कार्यकलापों से उत्पन्न लाभ को सदस्यों में बांट दिया जाता है । एक सरकारी एजेंसी के रुप में सरकार स्वयं भी एक पंजीकृत सहकारी समिति का एक सदस्य या शेयरधारक हो सकती है, पर इस तथ्य से, इस सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए, उस समिति को एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नहीं माना जा सकता ।

(vii) **न्यास (ट्रस्ट) :** यह एक व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्तियों के एक समूह, अर्थात् न्यासियों, जो सम्पत्ति के वैधानिक स्वामी होते हैं, द्वारा अन्य समूह, अर्थात् लाभग्राहियों के हित में कार्य किया जाता है । न्यासों की स्थापना व्यक्तियों या परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए, पेंशन देने, धर्मार्थ संस्था चलाने, दिवालिये की सम्पत्ति को उनके देनदारों के लाभ के लिए परिसमाप्त करने, या न्यास द्वारा अपने निवेशकों के धन से खरीदी गई प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए की जाती है । न्यास द्वारा धारित परिसम्पत्तियां विधान के अनुसार नियमित की जाती हैं, इनका संचालन लाभग्राहियों के हित में किया जाना चाहिए न कि न्यासियों के लाभ के लिए ।

(viii) **लाभनिरपेक्ष संस्था (NPI)** : लाभनिरपेक्ष संस्थायें वैधानिक या सामाजिक हस्तियां होती हैं जिनकी स्थापना वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने के उद्देश्य से की जाती हैं, पर इनकी हैसियत इन्हें अपने को स्थापित करने, नियंत्रित करने या वित्त प्रदान करने वाली इकाइयों के लिए आय, लाभ या अन्य वित्तीय लाभ का एक स्रोत बनने की अनुमति नहीं देती । व्यवहार में, उनके उत्पादक कार्यकलाप या तो अधिक्य या अभाव उत्पन्न करने को बाध्य हैं पर उनके द्वारा उत्पादित आधिक्य को कोई अन्य संस्थागत इकाई ले नहीं सकती है । साझेदारी के नियम, जिनके द्वारा इनकी स्थापना होती है, इस प्रकार बनाये गये होते हैं कि उन्हें नियंत्रित या प्रबंधित करने वाली संस्थागत इकाइयां उनके लाभ या अन्य आय जो लाभ निरपेक्ष संस्थाएं प्राप्त करती हैं, में से कोई हिस्सा नहीं ले सकते । इन कारणों से उन्हें विभिन्न प्रकार के करों से छूट दिया गया है ।

गैर वित्तीय संस्थान मूलतः बाजार उत्पादक है मगर वे गैर-बाजार उत्पादन में भी लगे हुए हो सकते हैं । बाजार में और गैर-बाजार उत्पाद में लगे हुए लाभ निरपेक्ष संस्थाओं के बीच भेद निकालना आवश्यक है क्योंकि इसका असर उस क्षेत्र के अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करता है जिसमें यह गैर-वित्तीय संस्थान स्थित है ।

अधिकतर बाजार लाभ नि.सं. व्यवसायों का सृजन व्यवसाय संघों द्वारा किया जाता है जिनका स्वार्थ इन्हें बढ़ाना है । इसमें वाणिज्य मंडल, कृषि, विनिर्माण या व्यापार संगठनें, नियोक्ता संगठनें, अनुसंधान या परीक्षण प्रयोगशालायें या अन्य संगठनें या संस्थान हैं जो ऐसे कार्यकलाप से जुड़े होते हैं जो उन्हें नियंत्रित करने एवं वित्त प्रदान करने वाले व्यवसायों के समूह के परस्पर हित या लाभ के होते हैं । ।

१.४.२३.१ स्वयं-सेवी दल : एक स्वयं-सेवी दल (एस एच जी) एक वित्तीय माध्यम है जिसमे सामान्यतः १०-२० स्थानीय व्यक्तियों से बना होता है । अधिकतर स्वयं सेवी दल भारत में स्थित हैं, फिर भी स्व.से.दल अन्य देशों विशेषकर दक्षिणी एशिया और दक्षिणपूर्वी एशिया में भी पाये जाते हैं । कुछ महीनों में अल्प नियमित बचत अंशदान द्वारा सदस्य पूँजी तैयार करते हैं और ऋण देने लायक पर्याप्त धन होने पर ऋण देना प्रारंभ करते हैं । ऋण वापस सदस्यों को ही या ग्राम के अन्य लोगों को किसी भी प्रयोजन के लिए दी जाती है । लघु उधार प्रदान करने के लिए भारत में, अधिकतर स्वयं सेवी दल बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं ।

स्वयं सेवी दलों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- स्व.से.द. एक छोटा दल है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब व्यक्ति होते हैं, जो सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को बेहतर करने के लिए स्वतः आगे आकर एक समूह बनाते हैं ।
- यह औपचारिक (पंजीकृत) या अनौपचारिक हो सकता है ।
- इस संकल्पना में मितव्यय, ऋण और स्वयं सेवा का सिद्धांत निहित होता है ।
- स्व.से.द. के सदस्य नियमित रूप से बचत और आम निधि में अंशदान करने के लिए सहमत होते हैं ।
- सदस्य आम निधि और ऐसे अन्य निधियों (जैसे अनुदान और बैंकों से ऋण) जिसे वे एक समूह के रूप में प्राप्त करते हैं, का प्रयोग समूह के निर्णयानुसार जरूरतमद सदस्यों को छोटे ऋण देने में प्रयोग करने के लिए सहमत होते हैं ।
- एक स्व.से.द. का आदर्श आकार १० से २० सदस्यों का होता है । कानूनतः भी यह आवश्यक है कि एक अनौपचारिक समूह में २० से अधिक न हो । तथापि, विषम क्षेत्रों में जैसे रेगिस्तान, पहाड़ों और कम या फैली हुई आबादी और विकालंग व्यकतियों के मामले में इसकी संख्या ५-२० में हो सकती है ।
- यह समूह पंजीकृत नहीं भी हो सकता है ।

- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही स्व.से.द. का सदस्य बन सकता है । (इस तरह अधिक परिवार स्व.से.स. में जुड़ सकते हैं) ।
- साधारणतः समूह में या तो केवल पुरुष या महिलाएं होती हैं ।
- सदस्य २१-६० वर्ष के आयु वर्ग के होने चाहिए ।
- सदस्य गरीब व्यक्ति होने चाहिए । [गरीब पद आर्थिक स्थिति और रहनसहन की स्थिति से संबंधित है और इसका गरीबी रेखा से कोई संबंध नहीं है । गरीबी रेखा (ए पी एल) से ऊपर वाले व्यक्ति भी गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) वाले व्यक्तियों की तरह स्व.से.द. का गठन कर सकते हैं] ।

१.४.२३.२ स्वयं-सेवी दलों का कार्यकलाप

अधिकतर मामलों में स्वयं-सेवा दल केवल वित्तीय मध्यस्थता से जुड़े होते है अर्थात स्व.से.द. का कार्यकलाप सदस्यों को ऋण देने तक ही सीमित है और सदस्य इस ऋण का उपयोग निजी या ठेकेदारी किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं ।

तथापि, एक स्व.से.द. पहले गठित हो सकता है और बाद में समूह आधारित उद्यम से जुड़ सकता है । उदाहरण के लिए, ऐसे समूह-आधारित कार्यकलाप नीचे दिये गये हैं :

(i) लघु -ऋण के प्रयोग से स्थापित व्यक्तिगत उद्यमों के उत्पाद के विपणन का सामूहिक संगठन, ग्राम स्तर पर खासकर दूध एकत्रण केन्द्र/डेयरी सहकारिता ।

(ii) उत्पादन के लिए अधिक प्राकृतिक परिसम्पत्तियों के लिए समूह ऋण के प्रयोग से स्व.से.दल का सामूहिक कार्यकलाप उदाः भूमि और तालाबों को कृषि और मत्स्यपालन के लिए पट्टे पर लेना ।

(iii) समूह ऋण पर आधारित अन्य सामूहिक आर्थिक कार्यकलाप जिसमें श्रम और प्रबन्धन : पत्थर कटाई, चावल-विधायन एक तम्बू घर का प्रबन्धन आदि सन्निहित है ।

(iv) सरकारी संविदाओं का प्रबन्धन जैसे राशन दुकान चलाना (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक भाग के रूप में), स्कूल बच्चों के लिए मध्यान्ह्न भोजन पकाना, एक आर्थिक सहायता प्राप्त चारा डिपो प्रबंधन आदि

वित्तीय मध्यस्थता में लगे स्वयं-सेवी दलों के लिए और समूह आधारित उद्यम चलाने वाले स्वयं-सेवी दलों के लिए मार्गदर्शन निम्नलिखित हैं -

एक स्वं.से.द. के सूचीकरण के समय निम्नलिखित तीन मामलों पर विचार किया जाना है :-

(क) स्व.से.द. केवल वित्तीय मध्यस्थता में लगे हुए हैं । ऐसे मामलों में, उसे वित्तीय मध्यस्थता के अन्तर्गत सूचीकृत किया जायेगा ।

(ख) एक स्व.से.द. का गठन हुआ है और बाद में वह केवल कुछ गैर-वित्तीय कार्यकलाप में लगा हुआ है । ऐसे मामले में, यदि वह कार्यकलाप सर्वेक्षण व्याप्ति के अन्तर्गत है, तो उसे तदनुरूप गैर-वित्तीय कार्यकलाप के अन्तर्गत सूचीकृत किया जायेगा । उद्यम को स्व.से.द. के रूप में ही माना जायेगा ।

(ग) एक स्व.से.द. वित्तीय के साथ-साथ गैर-वित्तीय कार्यकलाप में भी लगा हुआ है । ऐसे मामलों में, वर्द्धित अधिकतम मूल्य/बिक्री टर्नओवर/रोजगार क्रम के आधार पर प्रधान कार्यकलाप का निर्णय किया जायेगा । उद्यम को स्व.से.द. के रूप में ही माना जायेगा ।

१.४.२३.३ एक स्व.से.द. की योग्यता का निर्धारण :

सर्वेक्षण के प्रयोग के लिए एक स्व.से.द. को योग्य उद्यम के रूप में माना जायेगा यदि उस स्व.से.द. के संचालन के दिनों की कुल संख्या पिछले ३६५ दिनों के दौरान कम से कम १५ दिन है । कार्य दिवस में शामिल हैं -

(क) बैठक के दिन ।

(ख) जमा/निकासी/ऋण/पुनः भुगतान आदि के प्रयोग के लिए बैंक के साथ आदान-प्रदान के दिन ।

(ग) स्व.से.द. से संबंधित अन्य कार्य जैसे रजिस्टरों के रखरखाव को करने के दिन ।

१.४.२३.४ एक स्व.से.द. के कामगार मालिकों की संख्या का निर्धारण :
स्व.से.द. के वे सदस्य जो नियमित रूप से बैठकों में उपस्थित रहते हैं या निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे सचिव, खजान्ची, सक्रिय समिति सदस्य आदि में भाग लेते हैं ,को कामगार मालिक माना जायेगा ।

१.४.२४ सर्वेक्षण व्याप्ति के अन्तर्गत भिन्न प्रकार के सेवा क्षेत्र उद्यमों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं । सभी कार्यकलापों की विस्तृत सूची के लिए रा.औ.व-२००८ पुस्तक को देखा जाए ।

रा.औ.व-२००८		सर्वेक्षण की व्याप्ति
संकेतांक	कार्यकलाप	
३७	मलजल व्यवस्था	मलजल प्रणाली संचालन और रखरखाव ; मानव या औद्योगिक गन्दे जल या बारिश का पानी का एकत्रण और मलजल प्रणाली के माध्यम से, एकत्रक, टंकी और परिवहन के अन्य माध्यम से (मलजल वाहन आदि), ले जाया जाना; भौतिक, रसायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से गंदे जल या मल की अभिक्रिया
३८	कुड़ा-कचरा एकत्रण, अभिक्रिया और निपटान कार्यकलाप, सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति	गैर-जोखिमी कुड़े-कचरे का एकत्रण, जोखिमी कुड़े-कचरे का एकत्रण, गैर-जोखिमी कुड़े-कचरे का निपटान और अभिक्रिया, जोखिमी कुड़े-कचरे का निपटान और अभिक्रिया, सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति
३९	प्रतिविधि कार्यकलाप और अन्य कुड़े-कचरे प्रबन्धन सेवायें	प्रतिविधि कार्यकलाप और गन्दगी प्रबन्धन सेवायें । इसमें दूषित भवन और स्थल, भूमि, तल या भूतल जल की सफाई और अन्य विशिष्ट प्रदूषण-नियंत्रण कार्यकलाप
४९२	अन्य भू-परिवहन (नगरीय या उप नगरीय ट्राम [४९२१२] और नगरीय या उप-नगरीय भूतल या उत्थापित रेल [४९२१३])	नगरीय या उपनगरीय यात्री बस परिवहन, सुदूरवर्ती बस सेवायें, चार्टर भ्रमण और अन्य आवधिक यान सेवायें, कार चालक सहित कार को भाड़े पर देना, टैक्सी संचालन, स्कूल बसों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए बसों का संचालन, मानव या पशु-द्वारा चलाये जाने वाले वाहनों द्वारा यात्री परिवहन, मोटर द्वारा रोड माल परिवहन, गैर मोटर द्वारा रोड माल परिवहन ।
५०	जल परिवहन	समुद्र और तटीय फेरी सेवा, समुद्र और तटीय जल पर्यटन, जल टैक्सी और अन्य पर्यटन नाव, समुद्री और तटीय सुदूर जल परिवहन, समुद्री और तटीय माल जल परिवहन, नदी फेरी सेवा, नदी पर्यटन, जल टेक्सी, नाव सेवायें, सुदूर नदी जल परिवहन; नदी, बांध, झील और अन्य अंतः स्थलीय जलमार्ग, अंतरीय बन्दरगाह और पोत सहित,द्वारा माल का परिवहन,
५२	परिवहन के लिए मालगोदाम और सहायक कार्यकलाप	माल गोदाम और भण्डारण के अंतर्गत सामान्य पण्य, फर्नीचर, ओटोमोबाइल, गैस और तेल, रसायन, वस्त्र आदि के शीतताप भंडारण, भंडारण और माल गोदामी शामिल हैं । इसमें विदेशी व्यापार क्षेत्र में माल का संग्रहण, भू-परिवहन के आनुषंगिक पोतभार संचालन, जल परिवहन के आनुषंगिक पोतभार संचालन, पर्यटन एजेन्टो के कार्यकलाप, पोत परिवहन पोत एजेन्टों के कार्यकलाप, मूवर्स और पैकर्स के कार्यकलाप, माल की तुलाई भी शामिल हैं ।
५३	डाक और कूरियर कार्यकलाप	सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और स्थानीय निकाय द्वारा चालित डाक सेवाओं को छोड़कर डाक सेवायें उपलब्ध कराने वाले सभी उद्यमों, को व्याप्ति में लिया जाएगा । इसमें कूरियर सेवायें भी शामिल हैं ।

रा.औ.व-२००८		
५५	आवास	होटल और मोटल, सराय, सैरगाह जो अल्पावधि (लघु) आवास सुविधा उपलब्ध कराते हैं; इसमें हाउस बोट में आवास, एक संगठन के सदस्यों को लघु-अवधि आवासीय सुविधा का प्रावधान जैसे कि कम्पनी गेस्ट हाउस या उसी प्रकार के प्रतिष्ठान, कैम्प मैदानों में आवास का प्रावधान, ट्रेलर पार्क, लघु-अवधि पर्यटकों के लिए मनोरंजन कैम्प और मत्स्य-ग्रहण और शिकार कैंप, मनोरंजन वाहनों के लिए जगह और सुविधाओं का प्रावधान, पहाड़ी शरणागृह द्वारा आवास उपलब्ध कराना, छात्र आवासों, स्कूल शयनागार वर्कर होस्टल और बोर्डिंग हाउस द्वारा आवास उपलब्ध कराना, । [एक रेस्तरां एक उद्यम है जो भोजन, व्यवस्था के अन्य तैयार खाद्य और नाश्ते को/ साथ या उनके बगैर आवास की सुविधा उपलब्ध कराता है ।] [एक होटल एक उद्यम है जो भोजन की व्यवस्था या भोजन के बगैर, अन्य तैयार और अलपाहार के साथ आवास उपलब्ध कराते हैं ।]
५६	आहार और पेय सेवा कार्यकलाप	रेस्तरां ; मदिरालय रेस्तरां के साथ या बगैर, अल्पाहार-गृह, फास्ट-फुड रेस्तरां और अन्य बाजारू स्टॉल में तैयार आहार, आईसक्रीम चलंत बिक्रेता, चलंत आहार वाहन, परिवहन से जुड़े रेस्तरां और मदिरालय कार्यकलाप जब पृथक इकाइयों द्वारा किए जाते है, इवेन्ट केटरिंग, आहार सेवा ठेकेदारों के कार्यकलाप (उदाहरण के लिए परिवहन कम्पनियाँ), केन्टीन का संचालन या (उदा. के लिए फैक्ट्री, कार्यालयों अस्तपालों या स्कूलों के लिए) रियायती आधार पर (मगर सरकार द्वारा चलाये गये कैन्टीन को शामिल नहीं किया जायेगा); चाय/कॉफी दुकानें, फलों के रस की दुका , चलंत पेय बिक्रेता [एक रेस्तरां सामान्यतः खाने और पीने की सुविधाएं प्रदान करता है वहाँ ने के प्रावधान के बिना तुरंत उपयोग के लिए तैयार भोजन, खाद्य और नाश्ते एवं अन्य स्नैक्स की बिक्री की जाती है]
५८	प्रकाशन कार्यकलाप	पुस्तकों, किताबों, विवरणिका (ब्रॉशुर), पत्रक (लीफलेट) और इसी प्रकार के प्रकाशन, विश्वकोश सहित (सी.डी. रोम सहित), मानचित्र (एटलस), नक्शा और चार्ट का प्रकाशन, ऑडियो किताबों का प्रकाशन, डायरेक्ट्रीज और मेलिंग सूची का प्रकाशन, समाचार पत्र, जर्नल और पत्रिकाओं का प्रकाशन, आँकड़ों और अन्य सूचनाओं का ऑनलाइन प्रकाशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकाशन, सभी स्तर के लिए कम्प्यूटर खेलों का प्रकाशन ।
५९	चलचित्र, विडियो और टेलिविजन कार्यक्रम प्रदर्शन, ध्वनी रिकॉर्डिंग और संगीत प्रकाशन कार्यकलाप	चलचित्र का प्रकाशन, विडियो प्रॉडक्शन टेलिविजन कार्यक्रम और टेलिविजन विज्ञापन की प्रदर्शनी, चलचित्र तैयार करने के पश्चात का कार्यकलाप, टेलिविजन कार्यक्रम और टेलिविजन विज्ञापन तैयार करने के पश्चात कार्यकलाप, विडियो प्रदर्शन को तैयार करने के पश्चात के कार्यकलाप, चलचित्र का वितरण, विडियो टेप, सी.डी., डी.वी.डी. और टेलिविजन कार्यक्रम का वितरण, सिनेमा, खुले स्थान या अन्य प्रक्षेपण सुविधायें में चलचित्र या विडियो टेप प्रक्षेपण, सिने क्लब के कार्यकलाप, स्टूडियो या अन्य स्थानों पर ध्वनि रिकार्डिंग के कार्यकलाप, संगीत प्रदर्शन का कार्यकलाप ।
६०	प्रोग्रामिंग और प्रसारण कार्यकलाप	रेडियो प्रसारण, टेलिविजन प्रोग्रामिंग और प्रसारण कार्यकलाप । प्रसारण भिन्न प्रकार की तकनीकों के प्रयोग से हवा में, सेटेलाइट के माध्यम से, केबुल नेटवर्क के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है ।
६१	दूरसंचार	बुनियादी टेलीकॉम सेवाओं के कार्यकलाप :- टेलीफोन, टेलेक्स और टेलीग्राफ (एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथों के कार्यकलाप भी शामिल); टेलीकोम नेटवर्क का रखरखाव ; केबुल ऑपरेटरों के कार्यकलाप ; वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के

रा.औ.व-२००८		
		ऑपरेटर द्वारा इन्टरनेट ऐक्सेस प्रदान करने के कार्यकलाप ; वायरलेस इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेटर द्वारा इन्टरनेट ऐक्सेस के कार्यकलाप ; पेजिंग, सेलूलर और अन्य दूरसंचार नेटवर्क का रखरखाव और संचालन के कार्यकलाप ; अन्य वायरलेस दूरसंचार क्रियाकलापों के कार्यकलाप ; सेटरलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेटर द्वारा इन्टरनेट ऐक्सेस का कार्यकलाप, अन्य सेटरलाइट दूरसंचार कार्यकलापें, विशेष दूरसंचार ऐप्लीकेशन्स, यथा सेटरलाइट ट्रेकिंग, कम्यूनिकेशन्स टेलीमेट्री और रेडार स्टेशन ऑपरेशन, सेटलाइट टर्मिनल स्टेशन का ऑपरेशन, डायल-अप इन्टरनेट ऐक्सेस आदि जैसे नेटवर्कों पर इन्टरनेट ऐक्सेस ।
६२	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, कन्सेल्टेन्सी और संबंधित कार्यकलाप	किसी ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर प्रोग्राम लिखना, संशोधित करना, जाँच करना, वेब-पेज डिजाइन करना, ग्राहकों को सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रदान करना और उसका रखरखाव, कम्प्यूटर सिस्टम का अधिष्ठापन, सिस्टम का प्रयोग करने वालों को प्रशिक्षण देना और सपोर्ट देना तथा हार्डवेयर सपोर्ट प्रदान करना, कम्प्यूटर सिस्टम की योजना और डिजाइन बनाना सहित जो कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्यूनिकेशन तकनीकों का निर्माण करता है, सॉफ्टवेयर इन्स्टालेशन, कम्प्यूटर डिजास्टर रिकवरी ।
६३	सूचना सेवा कार्यकलापें	रिपोर्ट लेखन सहित समंक विधायन कार्यकलापें, वेब होस्टिंग कार्यकलापें, ग्राहकों को सामान्य टाइम-शेयर मेन-फ्रेम सुविधायें प्रदान करना, समंक प्रविष्टि सेवायें प्रदान करना, वेबसाइट का ऑपरेशन जो एक सरल सर्च करने लायक फार्मेट में इन्टरनेट ऐड्रेस एवं सूचना के व्यापक डाटाबेस को जेनरेट और मेन्टेन करने के लिए एक सर्च इंजन का प्रयोग करता है, अन्य वेबसाइटों का ऑपरेशन जो इंटरनेट के पोर्टल के रूप में कार्य करता है जैसे कि समय-समय पर अद्यतन सूचनाओं को प्रदान करने वाला मीडिया साइटस, समाचार संस्था कार्यकलापें, टेलीफोन आधारित सूचना सेवायें, साइबर कैफे के कार्यकलाप ।
६४३	ट्रस्ट, फंड और अन्य वित्तीय माध्यम	इस वर्ग में शेयर धारकों या लाभकर्ताओं की ओर से प्रबन्धन बगैर पूल प्रतिभूतियों या अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संगठित कानूनी अस्तित्व पोर्टफोलियो इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि विशिष्ट निवेश विशेषतायें जैसे कि विविधता, जोखिम, ब्याज दर एवं मूल्य वोलेटिलिटी प्राप्त किए जा सके । ये अस्तित्व ब्याज, लाभांश और अन्य सम्पत्ति आय अर्जन करते हैं, परंतु कोई रोजगार नहीं होता और न ही सेवाओं की बिक्री से कोई आय होती है । **वित्तीय मध्यस्थता में पहले से ही संलग्न स्वयं सेवी दलों को एक विशेष संकेतांक ६४३०९ दिया जायेगा ।**
६४९	बीमा और पेंशन निधीयन कार्यकलापों को छोड़कर अन्य वित्तीय सेवा कार्यकलापें	वित्तीय लीजिंग, वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुख्यतः ऋण प्रदान करने से संबंधित वित्तीय सेवा कार्यकलापें जो आर्थिक मध्यस्थता में सम्मिलित नहीं हैं (जैसे कि जोखिम पूँजी कम्पनियाँ, औद्योगिक बैंक, निवेश क्लब), जहां उधार, ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड आदि कई रुपों में प्रदान किया जाता है, अन्य वित्तीय सेवा कार्यकलापें जो मुख्यतः ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त निधियों के वितरण संबंधित हैं, किराया खरीद वित्तपोषण, मकान के लिए वित्त प्रदान करने वाली कम्पनियाँ, वाणिज्यिक ऋण कम्पनियां, अन्य उधार कार्यकलाप, गिरवी दुकानों

रा.औ.व-२००८		
		सहित के कार्यकलाप । **एक ऋण दाता जो ऋण दाता अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा नहीं, को सर्वेक्षण व्याप्ति में लिया जायेगा । ऋण दाताओं का कार्यकलाप एक विशेष संकेतांक ६४९२९ में दिया गया है ।**
६५	पूनर्बीमा और पेंशन निधीयन, अनिवार्य समाजिक सुरक्षा को छोड़कर	सम्पत्ति बीमा, मोटर, नववाहन, उदुयन और परिवहन बीमा, आर्थिक क्षति ओर देयता बीमा, पूनर्बीमा (अन्य बीमा वाहकों द्वारा मूलतः अधोलिखित वर्तमान बीमा पॉलिसियों से संबंध पूरा या अंशतः जोखिम संबंधी कार्यकलाप), पेंशन निधियन [वैज्ञानिक अस्थित्व अर्थात प्रयोजक के केवल कर्मचारियों या सदस्यों के लिए सेवा निवृत्ती आय लाभ प्रदान करने के लिए आयोजित निधि, योजना और/या कार्यक्रम । इसके अन्तर्गत परिभाषित लाभों वाली पेंशन योजनायें के साथ-साथ व्यक्तिगत योजनायें जहाँ लाभ हों को साधारण तौर पर सदस्यों के अंशदान द्वारा परिभाषित किया गया है, शामिल हैं] ।
६६१	अन्य वित्तीय कार्यकलाप (वित्तीय बाजारों के प्रशासन को छोड़कर ६६११)	वित्तीय सेवा कार्यकलापों से गौण कार्यकलापें, बीमा और पेंशन निधियन को छोड़कर । इसके अन्तर्गत शामिल हैं - सार्वजनिक प्राधिकारियों को छोड़ अन्य वित्तीय बाजार जैसे कि कमोडिटी कन्ट्रैक्ट एक्सचेन्ज, फ्यूचर कमोडिटी कन्ट्रैक्ट एक्सचेन्ज, सेक्यूरिटी एक्सचेन्ज, स्टॉक एक्सचेन्ज, स्टॉक या कमोडिटी ऑक्शन एक्सचेन्ज का संचालन और पर्यवेक्षण, दूसरों के लिए वित्तीय बाजारों में लेन-देन (यथा स्टॉक ब्रोकिंग) और संबंधित कार्यकलापें, सेक्यूरिटी दलाली, कमोडिटी कॅन्ट्रैक्ट दलाली, विदेशी विनिमय सेवा, आदि: निवेश सलाहकारों, बंधक सलाहकारों और दलालों के कार्यकलाप, वित्तीय लेन-देन विधायन और निपटारा कार्यकलापें, ट्रस्टी, न्यासीय और अधिरक्षा सेवायें, सशुल्क या ठेका आधार पर ।
६६२	बीमा और पेंशन निधियन से सहायक कार्यकलाप	बीमा और पेंशन निधियन के अन्य सहायक कार्यकलापों को छोड़कर (६६२९) बीमा और पेंशन निधियन के सहायक कार्यकलाप । इसके अन्तर्गत बीमा की प्रशासन सेवाओं के प्रावधान, जैसे कि बीमा दावें का मूल्यांकन और निपटान, बीमा ऐजेन्टों और ब्रोकरों के कार्यकलाप शामिल हैं ।
६८	स्थावर सम्पदा का कार्यकलाप (स्वयं के आवासीय भवनों के संचालन को छोड़कर)	अपनी या पट्टे पर दी गई सम्पत्ति संबंधी स्थावर सम्पदा कार्यकलापें और एक शुल्क के साथ या ठीका आधार पर स्थावर सम्पदा कार्यकलापें । इसमें निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे : स्वयं के या पट्टे पर दिये गये स्थावर सम्पदा की खरीद, बिक्री, संचालन (स्वयं के आवासीय भवनों के संचालन को छोड़कर), स्थायी प्रयोग के लिए मासिक या वार्षिक आधार पर घरों एवं सुसजित या गैर-सुसजित फ्लटों या अपार्टमेन्टों की व्यवस्था करना, अपने संचालन के लिए अर्थात इन भवनों के कुछ स्थलों को किराये पर देने के लिए भवन परियोजनाओं का विकास, भू-विकास के बगैर स्थावर सम्पदाओं को भू-खंडों में उप विभाजित करना, आवासीय मोबाइल गृह स्थलों का संचालन, एक शुल्क या ठीका आधार पर स्थावर सम्पदा कार्यकलापों के प्रावधान जिसके अन्तर्गत स्थावर सम्पदा संबंधी सेवायें जैसे कि स्थावर सम्पदा ऐजेन्टों और दलालों के कार्यकलाप, एक शुल्क या ठीका आधार पर स्थावर सम्पदा को बखरीदना, बेचना या किराये पर देने में मध्यस्थता करना, एक शुल्क या ठीका आधार पर स्थावर सम्पदा का प्रबन्धन, स्थावर सम्पदा के लिए मूल्य निरूपण सेवायें, स्थावर सम्पदा निलम्ब सम्पत्ति ऐजेन्ट, शामिल किए जायेंगे ।
६९	कानूनी और लेखा मूलक कार्यकलापें	कानूनी कार्यकलापें, लेखा मूलक, बुक कीपिंग और लेखा परीक्षा कार्यकलापें, कर परामर्श ।

रा.औ.व-२००८		
७०	प्रबंधन परामर्शी कार्यकलापें	मुख्य कार्यालयों के कार्यकलाप, प्रबन्धन परामर्शी कार्यकलाप ।
७१	वास्तुकला और इंजीनियरिंग कार्यकलापें, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण	वास्तुकला और इंजीनियरिंग कार्यकलापें एवं संबंधित तकनीकी परामर्श, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण/इस श्रेणी में शामिल होंगे, वास्तुकला परामर्श कार्यकलाप, मशीनरी, औद्योगिक प्रक्रिया, नियंत्रण और औद्योगिक संयंत्र डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन और भू-भौतिकी और भूकम्पीय सर्वेक्षण, भू-गणितीय सर्वेक्षण कार्यकलापों के लिए परामर्शी कार्यकलापें; सभी प्रकार के पदार्थों और उत्पादों के भौतिक, रसायनिक और अन्य विश्लेषणात्मक परीक्षण का निष्पादन, उत्पादों का प्रमाणीकरण, जिसमें उपभोक्ता वस्तुयें, मोटर गाड़ियों, वायु-यान, दाब-पात्र, नाभीकीय संयंत्र इत्यादि, मोटर गाड़ियों का आवधिक पथ-सुरक्षा परीक्षण, मॉडल या मॉक-अप के प्रयोग द्वारा परीक्षण (यथा वायुयान, समुद्री जहाज, बांध आदि का), पुलिस प्रयोगशालाओं का संचालन ।
७२	वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास	प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरी, समाजिक विज्ञान और मानविकी पर अनुसंधान और प्रयोगिक विकास ।
७३	विज्ञापन और बाजार अनुसंधान	विज्ञापन, बाजार अनुसंधान और लोक राय मतदान । इस श्रेणी में शामिल हैं ; सभी प्रकार की विज्ञापन सेवाओं के प्रावधान (अर्थात अन्तः गृह क्षमता या सह-ठेकेदारी के द्वारा), परामर्श सृजनात्मक सेवायें, विज्ञापन सामग्रियों को तैयार करना, मीडिया योजना और खरीद सहित ; बाजार में सम्भावनाओं की छान-बीन, उत्पादों की स्वीकार्यता और सुविज्ञता तथा नये उत्पादों की बिक्री प्रोन्नति और विकास के उद्देश्य से उपभोक्ताओं की क्रय आदतें, परिणामों के सांख्यिकीय विश्लेषण सहित, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों के विषय में लोगों के सामूहिक राय की छान-बीन और उनका सांख्यिकीय विश्लेषण ।
७४	अन्य पेशावर, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकलापें	वस्त्र, पहनावा, जूते, आभूषण, फर्नीचर और अन्य फैशन के सामग्रियों के साथ-साथ अन्य फैशन सामग्रियों से संबंधित फैशन डिजाइन के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत या पारिवारिक सामान ; अन्दरूनी भीतरी साज-सज्ज करने वालों के कार्यकलाप ; ग्राफिक डिजाइनरों के कार्य ; फोटोग्राफी कार्यकलापें (वाणिज्यिक एवं उपभोक्ता फोटोग्राफ निर्माण ; फोटोग्राफी फिल्म विधायन ; फोटो जर्नलिस्ट के कार्यकलाप ; दस्तावेजों की माइक्रो फिल्म बनाना) ; व्यवसाय दलतली कार्यकलापें ; पेटेन्ट दलाली कार्यकलापों ; मौसम पूर्वानुमान कार्यकलापें ; सुरक्षा परामर्श, इत्यादि ।
७५	पशु चिकित्सा कार्यकलापें	इन कार्यकलापों के अन्तर्गत चरागाह पशुवों या पालतू पशुवों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या एवं नियंत्रण कार्यकलापों के प्रावधान शामिल किए जायेंगे, पशु चिकित्सा अस्पतालों में योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा ये कार्यकलाप किए जाते हैं । इसमें पशु ऐम्बुलेन्स कार्यकलाप भी शामिल हैं ।
७७१	मोटर वाहनों कों किराये पर और पट्टे पर देना	यात्री मोटर गाड़ियों (ड्राइवर बगैर), ट्रक, उपयोगी ट्रेलर और मनोविनोद गाड़ियों को किराये पर और संचालनात्मक पट्टे पर देना ।
७७२	वैयक्तिक और पारिवारिक वस्तुओं	मनोविनोद और खेल-कूद की वस्तुओं को किराये पर और पट्टे पर देना ;

रा.औ.व-२००८		
	को किराये पर और पट्टे पर देना	विडियो टेप और डिस्क को किराये पर देना ; तम्बू, फर्नीचर, मिट्टी के बर्तन और गिलास, रसोई के बर्तन एवं धूटी-कांटे, बर्तन, घरेलू बिजली और इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि को किराये पर देना, पुस्तकों, जर्नलों और पत्र-पत्रिक को किराये पर देना ; आभूषण, वाद्य उपकरण, दृश्य चित्रों और पोशाकों को किराये पर देना ; वस्त्रों, पहनावे, जूते, सोने के थेले, रकसैक, पारिवारिक वस्तुयें ।
७७३	अन्य मशीनों, उपस्कर और स्पृश्य वस्तुयें, एन.इ.सी. को किराये पर और पट्टे पर देना	अन्य मशीनों, उपस्कर और स्पृश्य वस्तुयें, एन.इ.सी. को किराये पर और पट्टे पर देना ।
७८	रोजगार कार्यकलाप	नौकरी की व्यवस्था करने वाले संस्थानों के कार्यकलाप ; अस्थायी नौकरी वालें संस्था के कार्यकलाप; मानव संसाधन प्रावधान और मानव संसाधन कार्य का प्रबन्धन ।
७९	पर्यटन संस्था, टूर ऑपरेटर और अन्य आरक्षण सेवा कार्यकलाप	पर्यटन संस्था कार्यकलापें ; टूर ऑपरेटर कार्यकलापें ; टूरिस्ट गाइड के कार्यकलाप ; आवास, सम्मेलन केन्द्र, मनोरंजन स्थल एवं अन्य यात्रा संबंधी आरक्षण सेवायें (परिवहन, होटल, रेस्तरां, कार भाड़ा, मनोरंजन और खेल-कूद) की जानकारी देने के लिए संस्थानों को सूचना एवं सहायता प्रदान कर पर्यटकों के लिए सेवा उपलब्ध कराने के कार्यकलाप
८०	सुरक्षा और जाँच-पड़ताल कार्यकलापें	निजी सुरक्षा कार्यकलापें ; सुरक्षा प्रणाली सेवा कार्यकलापें ; जाँच-पड़ताल कार्यकलापें ।
८१	भवनों एवं भू-खंड सेवाओं के कार्यकलाप	संयुक्त सुविधाएं प्रदान करने वाले कार्यकलाप (इस श्रेणी में वे इकाइयाँ शामिल हैं, जो एक साथ कई सेवाएं प्रदान करती हैं जैसे कि सामान्य अन्दरूनी साफ-सफाई, रख-रखाव, कूड़ा-कचरा निपटान, लाउंड्री और संबंधित सेवाएं । वे इन कार्यकलापों हेतु काम करने वाले लोग उपलब्ध कराती हैं ।) ; भवनों की सामान्य साफ-सफाई ; ट्रेन, बस, प्लेन आदि की साफ-सफाई ; औद्योगिक मशीनों की सफाई ; अन्य भवन एवं औद्योगिक साफ-सफाई कार्यकलापें ; भू-खण्ड देख-रेख एवं रख-रखाव सेवा कार्यकलापें ।
८२	कार्यालय प्रशासन, कार्यालय सहायता और अन्य व्यवसाय सहायता कार्यकलाप	संयुक्त कार्यालय प्रशासनिक सेवा कार्याकलापें (इस श्रेणी में शामिल हैं - ठीका पर या फीस लेकर दूसरों के लिए दैनिक कार्यालय प्रशासनिक सेवाओं के संयुक्त प्रावधान जैसे कि स्वागत, वित्तीय योजना, बिल बनाना और रेकार्ड रखना, कार्मिक और डाक सेवाएं आदि) ; फोटोकॉपी करना, डुप्लिकेट या ब्लूप्रिंट बनाने के कार्य ; प्रलेख तैयार करना, टाइप करना, वर्ड प्रॉसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग कार्य ; अन्य विशिष्ट कार्यालय सहायता कार्यकलापें ; कॉल सेन्टर के कार्यकलाप ; सम्मेलनों और व्यापार कार्यक्रमों का आयोजित ; कलेक्शन संस्थाओं और क्रेडिट ब्यूरो के कार्यकलाप ; पैकेजिंग कार्यकलाप, इत्यादि ।
८५	शिक्षा	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ; सामान्य सेकेण्डरी (उच्च सेकण्डरी शिक्षा सहित) ; तकनीकी और व्यावसायिक सेकेण्डरी शिक्षा ; उच्चतर शिक्षा, खेल-कूद और मनोविनोद शिक्षा ; सांस्कृतिक शिक्षा ; शैक्षिक ट्यूटर सेवा ; व्यावसायिक परीक्षा समीक्षा पाठ्यक्रम ; फ्लाईंग स्कूल ; व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक मोटर ड्राईविंग स्कूल ; शैक्षणिक सहायता सेवायें । **[सभी सरकारी या सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थान सर्वेक्षण व्याप्ति**

रा.औ.व-२००८		
		से बाहर रहेंगे । शैक्षिक संस्थान, जिन्में शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन पूर्णतः सरकारी निधि से प्रदान किए जाते हैं, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान माने जायेंगे ।] सभी निजी शैक्षिक संस्थान, चाहे मान्यता प्राप्त हों या न हों, शामिल किए जायेंगे । इसके अन्तर्गत प्रबन्धन प्रशिक्षण संस्थान, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग स्कूल, फैशन डिजाईनिंग, योगा और शारीरिक शिक्षा के स्कूल तथा सामान्य कोचिंग केन्द्र (उदाहरणार्थ, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए) आदि शामिल किए जायेंगे । इसमें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी शामिल होंगे ।
८६	मानव स्वास्थ्य कार्यकलाप	अस्पताल कार्यकलापें ; मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिस कार्यकलापें ; आयुर्वेद, युनानी, होमियोपेथ प्रैक्टिस करने वालों के कार्यकलाप, नर्स, मालिश करने वाले ; फिजियोथेरापिस्ट या अन्य अर्ध चिकित्सा प्रैक्टिशनर के कार्यकलाप ; स्वतन्त्र डायग्नोस्टिक/पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं के कार्यकलाप ; स्वतंत्र ब्लड बैंकों के कार्यकलाप ; स्वतन्त्र ऐम्बुलेन्स कार्यकलापों । **[सभी उद्यमें जो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा में लगे हैं परन्तु सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्थानीय निकायों के स्वामित्व में नहीं हैं, यहां शामिल किये जायेंगें, उनकी चिकित्सा पद्धति चाहे कोई भी हो]**
८७	आवासीय देख-रेख कार्यकलाप	नर्सिंग केयर सुविधायें (नर्सिंग केयर के साथ वयों वृद्धों के लिए गृह, नर्सिंग केयर के साथ विश्राम गृह) ; मानसिक ह्रास, मानसिक रूप से अस्वस्थ और तात्विक दुर्व्यवहार के लिए आवासीय देख-रेख कार्यकलापें ; वयोंवृद्ध और अपंगों के लिए आवासीय देख-रेख कार्यकलाप ; सीमित स्वयं देख-रेख की क्षमता वाले बच्चों और विशेष प्रकार के व्यक्तियों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे देख-रेख प्रदान करने वाले कार्यकलाप ; परन्तु जहां चिकित्सकीय उपचार या शिक्षा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है जैसे कि अनाथालयों, बच्चों के बोर्डिंग होम और हॉस्टल, अस्थायी गृहविहीन आश्रय, संस्थायें जो अविवाहित माताओं और उनके बच्चों का देख-रेख करते हैं ।
८८	आवास के बगैर सामाजिक कार्य कियाकलाप	वयोंवृद्धों और अपंगो के लिए सामाजिक क्रियाकलापें ; सामाजिक परामर्श, कल्याण, शरणार्थी, सम्प्रेषण और इसी प्रकार की सेवायें जो व्यक्तियों या उनके परिवारों को उनके घर में या अन्यत्र प्रदान की जाती है तथा सरकारी कार्यालयों या निजी संगठनों, विपत्ति राहत संगठनों और राष्ट्रीय या स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों और परामर्शी सेवायें जैसे कि बच्चा दिवा-देख रेख (डे केयर), सामुदायिक और पास-पड़ोस कार्यकलाप, धर्मार्थ कार्यकलापें जैसे निधि उगाही या सामाजिक कार्य के उद्देश्य से अन्य सहायता कार्यकलापें प्रदान करने वाले विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं ।
९०	सृजनात्मक, कला और मनोरंजन कार्यकलाप	नाट्य कला, संगीत और अन्य कला संबंधी कार्यकलापें इस श्रेणी में शामिल हैं - स्टेज प्रोडेक्शन संबंधी कार्यकलापें ; संगीत समारोह और थियेटर हॉल का संचालन तथा अन्य ललित कला सुविधायें ; मूर्तिकार, चित्रकार, व्यंग्य-चित्रकार (काटूनिस्ट) ; नक्काश, निधारक (etcher) आदि के कार्यकलाप ; काल्पनिक लेख, लेखन तकनीकी लेख आदि सहित सभी विषयों के लिए लेख लिखने वाले लेखकों के कार्यकलाप ; स्वतन्त्र पत्रकारों के कार्यकलाप ; चित्रकारी आदि जैसे कला संबंधी कार्य का पूर्नस्थापन कार्यकलाप ।
९१	पुस्तकालय, ग्रन्थागार, संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक	पुस्तकालय और ग्रन्थागार कार्यकलापें ; संग्रहालय कार्यकलापें और ऐतिहासिक स्थलों एवं भवनों का संचालन ; वानस्पतिक और जन्तु शाला (Zoological) बगीचों एवं प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों कार्यकलाप ।

रा.औ.व-२००८		
९२	कार्यकलाप जुआ और सट्टेबाजी कार्यकलापें	लॉटरी टिकटों की थोक एवं खुदरा बिक्री ; अन्य जुआ और सट्टेबाजी कार्यकलापें । तथापि, कुछ जुए/सट्टेबाजी कार्यकलाप ऐसे हैं जो गैरकानूनी एवं गुप्त रूप से खेले जाते हैं ये इस सर्वेक्षण से बाहर रहेंगे ।
९३	खेल-कूद कार्यकलापें और मनोरंजन एवं मनोविनोद कार्यकलाप	खेल-कूद सुविधाओं का संचालन ; खेल-कूद क्लबों कार्यकलाप ; अन्य खेल-कूद कार्यकलाप ; मनोरंजन पार्क और थीम पार्क के कार्यकलाप ।
९४१	व्यवसाय नियोक्ता और पेशेवर सदस्यता वाले संगठनों के कार्यकलाप	चेम्बर ऑफ कॉमर्स, शिल्पिसंघो (गिल्ड) और ऐसे संस्थानों के संघों के कार्यकलाप ; लेखकों, चित्रकारों, वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों और अन्य ऐसे संगठनों के संघों के कार्यकलाप ।
९४९	अन्य सदस्यता वाले संगठनों के कार्यकलाप	अन्य सदस्यता वाले संगठनों के कार्यकलाप जैसे धार्मिक संगठन के कार्यकलाप इसमें शामिल किए जायेंगे यदि इनका संबंध संगठनात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य कार्यकलापों से है । अतः धार्मिक संगठन जो चर्च, मस्जिद, मंदिर, यहूदी प्रार्थना भवन या अन्य स्थलों में पूजा करने वालों को प्रत्यक्ष सेवायें प्रदान कराते हैं के कार्यकलाप, मठ और आश्रम सेवायें धार्मिक साधना कार्यकलाप प्रदान करने वाले संगठनों के कार्यकलाप इस सर्वेक्षण से बाहर रहेंगें । तथापि, पुरोहित जैसे अन्य व्यक्ति जो पूजा करने वालों को सीधी सुविधायें प्रदान करते हैं, शामिल किये जायेंगे । राजनैतिक संगठनों के कार्यकलाप शामिल नहीं किये जायेंगे । रोटरी क्लब, छात्र संघ, निवृत्त सैनिकों के संघ, बुक क्लब, टिकट संग्रहण क्लब, अल्प समुदायों के संघ के कार्यकलाप और अन्य इसी प्रकार के संघों/संगठनों के कार्यकलाप सर्वेक्षण में शामिल किए जायेंगे ।
९५	कम्प्यूटरों और वैयक्तिक एवं घरेलू सामग्रियों की मरम्मत	कम्प्यूटरों और बाह्य उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव ; स्वचालित टर्मिनल जैसे, स्वचालित टेलर मशीनों, प्वाइंट-ऑफ-सेल (पी ओ एस) टर्मिनलस, जो यन्त्रवत संचालित नहीं किए जाते, की मरम्मत और रखरखाव ; संचार उपस्करों जैसे बेतार (कॅर्डलेस) टेलीफोन, सेलूलर फोन, फैक्स मशीनों, वाणिज्यिक टी वी और विडियों कैमरा आदि की मरम्मत और रखरखाव ; उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत और रखरखाव ; घरेलू उपकरणों (रेफ्रिजरेटर, स्टोव, वॉशिंग मशीनों, कपड़े सुखाने की मशीनों, कमरा वातानुकूलनों आदि) की मरम्मत और साफ-सफाई ; गृह एवं बगीचा उपकरण जैसे धास-लावक, एजर, ट्रिमर्स आदि की मरम्मत और साफ-सफाई ; जूतों और चमड़े के सामानों की मरम्मत ; फर्नीचर और घरेलू साज-सामानों की मरम्मत ; साईकिलों की मरम्मत ; वस्त्रों की सिलाई मरम्मत और छोटा-बड़ा करना ; आभूषणों की मरम्मत ; घड़ियों ; दीवार घड़ियों और उनके पूर्जों की मरम्मत ; संगीत बाद्ययों की मरम्मत ; अन्य निजी और घरेलू सामग्रियों की मरम्मत ।
९६	अन्य निजी सेवा कार्यकलापें	वस्त्र और लोम उत्पादों की धुलाई और सफाई (ड्राई) ; केश प्रसाधन और अन्य सौन्दर्य चिकित्सा ; अन्त्योष्टि और संबंधित कार्यकलापें ; सामाजिक कार्यकलापें जैसे मार्गरक्षी सेवा, विवाह ब्यूरों ; पालतू जानवरों की देख-रेख सेवायें जैसे उनके लिए आवास, उनकी देख-भाल और उनकों प्रशिक्षण देना आदि ; शू

रा.औ.व-२००८		
		साइनर्स, पोर्टर, वेलेट कर पार्कर आदि ; सिक्का-संचालित निजी सेवा मशीनें जैसे फोटो बूथ ; तुला मशीन ; ब्लड प्रेशर मापने की मशीन आदि ; सोना और स्टीम बाथ, मसाज सलून आदि के कार्यकलापें ; ज्योतिषी और धार्मिक गुरुओं के कार्यकलापें ; आया, दायी, गवर्नेस, बच्चों को रखनेवाले आदि के कार्यकलाप ; (तथापि, व्यक्तिगत परिवारों में नियुक्त लोगों को रा.औ.व ९७ के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है और उन्हें इस सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रखा गया है) ; सामान्य घरेलू रखरखाव कार्यकलापें जैसे झाड़ु लगाना, पोंछना, बर्तनों की सफाई आदि ।
परिवारों को सेवा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति, उदाहरण के लिए रसोईया, ट्यूटर, आदि जो नियोक्ता के घरों में जाकर (परिवार के भीतर उत्पादित सेवा और परिवार द्वारा नियमित रूप से उपयोग किये गये) को उद्यम नहीं माना जायेगा । तथापि, यदि इस प्रकार के व्यक्ति निजी परिवारों को छोड़कर उद्यमों/संस्थानों को सेवा उपलब्ध कराते हैं, तो उन्हें उद्यम के रूप में माना जायेगा । उसी प्रकार, यदि कुछ व्यक्ति कानूनी, लेखा-जोखा या समान सेवायें विभिन्न उद्यमों को सशुल्क आधार पर उपलब्ध कराते हैं, तो उन्हें स्व-कार्यरत उद्यम चलाने वाले माना जायेगा ।		
यदि सर्वेक्षणाधीन कोई भी उद्यम धार्मिक/राजनैतिक/अन्य सदस्यता संगठनों द्वारा चलाया जाता है तथा सेवा प्रदान करने के लिए उसमें कम से कम एक कर्मचारी को काम पर रखा गया है, तो उस उद्यम को उस कार्यकलाप के संबंधित रा.औ.व. संकेतांक के अधीन शामिल किया जायेगा ।		

सारणी १ : रा प्र स ६६वें दौर के लिए प्रतिदर्श ग्रामों और खंडों का वितरण

राज्य/सं.रा.क्षे.		प्र.च.इयों की संख्या					
		केन्द्रीय प्रतिदर्श			राज्य प्रतिदर्श		
संकेतांक	नाम	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
०१	जम्मू व कश्मीर	280	168	112	560	336	224
०२	हिमाचल प्रदेश	232	160	72	232	160	72
०३	पंजाब	416	216	200	416	216	200
०४	चंडीगढ़	48	8	40	0	0	0
०५	उत्तराखंड	280	180	100	280	180	100
०६	हरियाणा	464	240	224	464	240	224
०७	दिल्ली	424	16	408	848	32	816
०८	राजस्थान	696	384	312	696	384	312
०९	उत्तर प्रदेश	1656	840	816	1656	840	816

१०	बिहार	792	456	336	792	456	336
११	सिक्किम	56	32	24	56	32	24
१२	अरुणाचल प्रदेश	192	144	48	192	144	48
१३	नागालैंड	136	104	32	200	104	96
१४	मणिपुर	160	104	56	320	208	112
१५	मिजोरम	136	88	48	136	88	48
१६	त्रिपुरा	200	136	64	200	136	64
१७	मेघालय	128	80	48	128	80	48
१८	असम	488	320	168	488	320	168
१९	पश्चिम बंगाल	1192	632	560	1192	632	560
२०	झारखंड	416	264	152	416	264	152
२१	ओड़िसा	592	360	232	592	360	232
२२	छत्तीसगढ़	320	184	136	320	184	136
२३	मध्य प्रदेश	1064	576	488	1064	576	488
२४	गुजरात	656	300	356	656	300	356
२५	दमन और दीव	16	8	8	16	8	8
२६	दादर और नागर हवेली	24	16	8	0	0	0
२७	महाराष्ट्र	1176	400	776	1568	400	1168
२८	आंध्रप्रदेश	1176	632	544	1176	632	544
२९	कर्नाटक	664	312	352	664	312	352
३०	गोवा	40	24	16	40	24	16
३१	लक्षद्वीप	16	8	8	0	0	0
३२	केरल	640	392	248	640	392	248
३३	तमिलनाडु	1120	504	616	1120	504	616
३४	पोंडिचेरी	48	16	32	48	16	32
३५	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	56	32	24	0	0	0
सम्पूर्ण भारत		**१६०००**	**8336**	**7664**	**17176**	**8560**	**8616**

टिप्पणी : (i) वास्तविक प्रतिदर्श चयन कार्य के समय आबंटन में छोटे-मोटे बदलाव आवश्यक हो सकते हैं ।

(ii) राज्य प्रतिदर्श आबंटन वर्तमान सुमेलन प्रणाली पर आधारित हैं । गुजरात के लिए, जहाँ सुमेलन प्रणाली 'बराबर से कम है', राज्य प्रतिदर्श आकार (६५६ प्र.च.इ.) को केन्द्रीय प्रतिदर्श के लिए आवश्यक न्यूनतम आबंटन के बराबर लेना है ।